**<u>भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ</u>**

**फा. सं. 06/07/2024-डीजीटीआर**
**भारत सरकार**
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**
**वाणिज्य विभाग**
**व्यापार उपचार महानिदेशालय**
**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001**

**दिनांक: 10 मार्च, 2025**

**<u>अंतिम जांच परिणाम</u>**
**<u>मामला सं. एडी (ओआई) -07/2024</u>**

**विषय: चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और स्विटजरलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "विटामिन-ए पामिटेट" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के अंतिम जांच परिणाम।**

**एफ. सं. 06/07/2024-डीजीटीआर –** समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली या नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए :

## क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे **"प्राधिकारी"** भी कहा गया है) को पिरामल फार्मा लिमिटेड (जिसे आगे **"आवेदक" या "घरेलू उद्योग" या "याचिकाकर्ता"** भी कहा गया है) से एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें चीन, यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड (जिन्हें आगे **"संबद्ध देश"** भी कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विटामिन-ए पामिटेट (जिसे आगे **"विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध वस्तु" या "वीएपी"** भी कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने की मांग की गई थी।

2. आवेदक द्वारा दायर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 06/07/2024-डीजीटीआर दिनांक 28 मार्च, 2024 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की पाटनरोधी जांच की शुरूआत की गई ताकि संबद्ध वस्तु के किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाए, तो वह घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

3. पीयूसी हाल की अवधि में पाटनरोधी जांच के अधीन रहा है। इसका संक्षिप्त इतिहास नीचे दिया गया है।

| **क्र.सं.** | **मूल/एमटीआर/ एसएसआर** | **डीजीटीआर अंतिम जांच परिणाम की तारीख** | **क्या डीजीटीआर ने शुल्क की सिफारिश की (हां/नहीं)** | **सीमा शुल्क अधिसूचना की तारीख** | **क्या वित्त मंत्रालय द्वारा शुल्क लगाया गया (हां/नहीं)** | **शुल्क का रूप** | **शुल्क दर** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मूल | 23-जनवरी-03 | हां | 7-मार्च-03 | हां | संदर्भ कीमत | 113.95 यूएसडी/केजी |
| 2 | मध्यावधि समीक्षा (एमटीआर) | 24- जनवरी -05 | नहीं | 7-मार्च-05 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 3 | मूल | 14-सितंबर-07 | हां | 30-अक्टूबर-07 | हां | नियत शुल्क | 313 से 941 रू/केजी |
| 4 | निर्णायक समीक्षा (एसएसआर) | 21-अगस्त-13 | हां | 13-नवंबर-13 | हां | नियत शुल्क | 7.34 से 15.37 यूएसडी/केजी |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | मूल | 9-फरवरी-24 | नहीं, समापन | लागू नहीं | नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

**ख. <u>प्रक्रिया</u>**

4. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने की प्रक्रिया से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।

ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 28 मार्च, 2024 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

iii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग के साथ-साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे विहित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।

iv. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के जरिए आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति उपलब्ध कराई। जहां भी अनुरोध किया गया, आवेदन के अगोपीय अंश की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई।

v. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, अन्य भारतीय उत्पादकों और घरेलू उद्योग को भी सूचना की एक प्रति भेजी थी और उनसे अनुरोध किया कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराएं। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी थी:

क) झेजियांग मेडिसिन कंपनी लिमिटेड

ख) सिनकेम इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड
ग) ज़ियामेन किंगडमवे जीआर कंपनी
घ) बीएएसएफ एसई
ड.) डीएसएम न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स एजी

vi. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

vii. संबद्ध जांच अधिसूचना की शुरूआत के उत्तर में, संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करके जवाब दिया है:
क) सिनकेम इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड
ख) झेजियांग एनएचयू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
ग) एनएचयू (हांगकांग) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
घ) शांगयु एनएचयू बायो-केम कंपनी लिमिटेड
ड.) झेजियांग एनएचयू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
च) डीएसएम सिंगापुर इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड ("डीएसएम सिंगापुर")
छ) डीएसएम न्यूट्रीशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड ("डीएनपी एजी")
ज) डीएसएम न्यूट्रीशनल प्रोडक्ट्स यूरोप लिमिटेड

viii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजकर आवश्यक सूचना मंगाई थी:
क) बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड
ख) नंदलाल बंकटलाल प्राइवेट लिमिटेड
ग) कांतिलाल मणिलाल एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
घ) सनराइज फार्मास्युटिकल
ड.) प्रोविमी एनिमल न्यूट्रिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
च) डीएसएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
छ) कालगोव लैब्स लिमिटेड
ज) पल्स फार्मा
झ) डीएस बायोवेट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
ञ) वेंकीज लिमिटेड
ट) प्रिस्टीन ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड

ठ) पीडी नवकार बायो-केम प्राइवेट लिमिटेड

ड) हेक्सागन न्यूट्रिशन लिमिटेड

ढ) जेलटेक प्राइवेट लिमिटेड

ण) सॉफ्टसूल प्राइवेट लिमिटेड

त) सॉफ्टजेल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड

थ) मद्रास फार्मा

द) यूएसवी प्राइवेट लिमिटेड

ध) एल्केम लैबोरेटरीज

ix. संबद्ध जांच अधिसूचना की शुरूआत के उत्तर में, संबद्ध देशों के निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने निर्धारित समयावधि के भीतर प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करके जवाब दिया है:

क) डीएसएम न्यूट्रीशनल प्रोडक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("डीएनपी इंडिया")

ख) मेसर्स के सेवंतीलाल एंड कंपनी,

x. इसके अलावा, के. सेवंती लाल एंड कंपनी, एक आयातक ने 5 जून, 2024 अर्थात 4 जून 2024 की विहित समय सीमा के बाद प्रश्नावली का उत्तर अपना उत्तर प्रस्तुत किया।

xi. प्राधिकारी ने सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों और आवेदकों को एक आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। आर्थिक हित प्रश्नावली को प्रशासनिक मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया था। केवल आवेदकों और डीएनपी इंडिया ने आर्थिक हित प्रश्नावली प्रस्तुत की है। किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने प्राधिकारी द्वारा जारी आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

xii. जांच शुरूआत अधिसूचना और आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति निम्नलिखित मंत्रालयों को भेजी गई थी। तथापि, प्राधिकारी को कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है:

क) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

xiii. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का अगोपनीय अंश उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर उन सभी से इस अनुरोध के साथ अपलोड की गई कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश को ई-मेल कर दें।

xiv. डीजी सिस्टम से क्षति अवधि तथा जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों का सौदा-वार विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने सौदों की उचित जांच

के पश्चात आयात की मात्रा की गणना तथा अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

xv. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों ("**जीएएपी**") और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के आधार पर प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन और बिक्री की इष्टतम लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत ("**एनआईपी**") की गणना की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

xvi. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि ("**पीओआई**") 1 अक्टूबर, 2022 से 30 सितंबर, 2023 (12 महीने) की है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में रुझानों की जांच में 2020-21, 2021-22, 2022-23 की अवधि और जांच की अवधि शामिल थी।

xvii. 30 अप्रैल, 2024 को प्राधिकारी ने एक वर्चुअल बैठक आयोजित की थी, जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे और उत्पाद नियंत्रण संख्या ("**पीसीएन**") पद्धति पर अपनी टिप्पणियां देने के लिए आमंत्रित किया गया।

xviii. इस जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर उनके, साक्ष्य से समर्थित होने और वर्तमान जांच से संगत माने जाने की सीमा तक, प्राधिकारी द्वारा उचित ढंग से विचार किया गया है।

xix. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल कर दें।

xx. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 18 अक्टूबर, 2024 को हाइब्रिड मोड में आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें, उसके बाद खंडन अनुरोध यदि कोई हो, तो प्रस्तुत करें।

xxi. हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के दावों के पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है, जहां कहीं संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।

xxii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया या अन्यथा उसे प्रदान नहीं किया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/अवलोकन दर्ज किए हैं।

xxiii. प्राधिकारी ने इस चरण तक सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी तर्कों और सूचना पर उस सीमा तक विचार किया है, जहां तक वह साक्ष्य द्वारा समर्थित हों और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई हो।

xxiv. पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार, जांच के आवश्यक तथ्यों को ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को 10 फरवरी, 2025 के प्रकटन विवरण के माध्यम से प्रकट किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को उन पर टिप्पणी देने के लिए 14 फरवरी, 2025 तक का समय दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन विवरण के संबंध में प्राप्त टिप्पणियों पर इन जांच परिणामों में उनके संगत पाए जाने और दोहराए नहीं जाने की सीमा तक विचार किया गया है।

xxv. इस अधिसूचना में '***' किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

xxvi. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = **83.25 रूपए** है।

## ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

5. जांच शुरूआत के समय विचाराधीन उत्पाद को "विटामिन-ए पामिटेट" के रूप में परिभाषित किया गया था।

> *"3. वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद "विटामिन-ए पामिटेट" है, जिसमें विटामिन ए पामिटेट 1.7 एमआईयू/जीएम और विटामिन ए पामिटेट 1.0 एमआईयू/जीएम दोनों को इसकी सभी मात्राओं और रूपों में शामिल किया गया है, चाहे स्थिरीकरण सहित हो या या रहित । तथापि, केवल सांद्रता में अंतर होते हुए, विटामिन-ए पामिटेट 1.7 एमआईयू/जीएम और विटामिन-ए पामिटेट 1.0 एमआईयू/जीएम एक ही अंतिम उपयोग वाले उत्पाद उप-प्रकार हैं और तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय भी हैं।*

*4. पीयूसी का दायरा विटामिन-ए पामिटेट 1.6 एमआईयू/जीएम को कवर नहीं करता है जिसका उपयोग पशु उपभोग के लिए किया जाता है और पीयूसी की तुलना में इसके अलग-अलग अंतिम उपयोग हैं"।*

**ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

6. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. विटामिन-ए एसीटेट और पीयूसी तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।
   क. विटामिन-ए एसीटेट और पीयूसी विटामिन ए अणुओं के अलग-अलग एस्टर के अलावा और कुछ नहीं हैं।
   ख. विटामिन-ए एसीटेट और पीयूसी सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के सीटीएच 2936 2100 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं।
   ग. दोनों के अंतिम उपयोग और अनुप्रयोग समान हैं और इनमें समान गुण हैं।

ii. विटामिन-ए एसीटेट, जिसे रेटिनाइल एसीटेट के रूप में भी जाना जाता है, पीले रंग के क्रिस्टल या क्रिस्टलीय पाउडर के रूप में दिखाई देता है, जिसमें न्यूनतम विटामिन ए गतिविधि $2.76 \times 10^6$ आईयू/जी होती है। इसे नाइट्रोजन में और ठंडे तापमान में रखने पर 12 महीने तक स्टोर किया जा सकता है।

iii. रेटिनाइल पामिटेट, जो विचाराधीन उत्पाद है, वसा जैसा हल्का पीला ठोस या पीला तैलीय तरल है, जिसमें न्यूनतम विटामिन ए गतिविधि $1.64 \times 10^6$ आईयू/जी होती है।

iv. विटामिन ए का मूल अणु रेटिनॉल है। रेटिनॉल, किसी भी अल्कोहल की तरह इसकी आणविक संरचना में -ओएच समूह होता है और इसकी प्रकृति एक अस्थिर यौगिक की है चूंकि यह बहुत अस्थिर है, यह अन्य बातों के साथ-साथ अपने एस्टर के रूप में मौजूद है। इसकी स्थिरता बढ़ाने के लिए, रेटिनॉल को इसके एस्टर में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कि रेटिनाइल एसीटेट (विटामिन-ए एसीटेट) और रेटिनाइल पामिटेट (विटामिन-ए पामिटेट)।

v. विटामिन-ए एसीटेट को सरलता से पीयूसी में परिवर्तित किया जा सकता है। याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई मात्र रूपांतरण प्रक्रिया के कारण, वे पीयूसी के वैश्विक निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं जो मूल चरण से पीयूसी का उत्पादन करते हैं। डीएनपी एजी द्वारा पीयूसी के उत्पादन के लिए स्विटजरलैंड में अपनाई गई विनिर्माण प्रक्रिया याचिकाकर्ता द्वारा की गई मात्र रूपांतरण प्रक्रिया से बिल्कुल तुलनीय नहीं हैं, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता को पीयूसी का निर्माता नहीं माना जा सकता।

vi. मिथाइल पामिटेट, उत्प्रेरक और विलायक को जोड़ने के अलावा, विटामिन-ए एसीटेट को विटामिन-ए पामिटेट में बदलने के लिए प्रसंस्करण के लिए किसी बड़े इनपुट की आवश्यकता नहीं होती।

vii. ओसवाल वूलेन मिल्स लिमिटेड मामले में स्थापित कानूनी पूर्व उदाहरण के अनुसार, यदि दो उत्पाद सरलता से परिवर्तनीय हैं और निर्यातकों द्वारा उन्हें इस रूप में मान्यता दी जाती है, तो उन्हें "समान उत्पाद" माना जा सकता है।

viii. इसलिए, डीजीटीआर को यह मानना चाहिए कि विटामिन-ए एसीटेट पीयूसी के समान वस्तु है और याचिकाकर्ता को विटामिन-ए एसीटेट के आयात का विवरण प्रदान करने का निर्देश देना चाहिए ताकि पक्षकार याचिकाकर्ता की स्थिति पर टिप्पणी कर सकें।

ix. विटामिन-ए एसीटेट और पीयूसी विटामिन-ए (रेटिनॉल) के एस्टर हैं। यहां तक कि 1970 का पेटेंट अधिनियम, जो नए आविष्कारों की पेटेंट योग्यता को शासित करता है, यह मानता है कि किसी यौगिक के एस्टर को तब तक एक ही पदार्थ माना जाता है जब तक कि उनके गुणों में महत्वपूर्ण अंतर न हो।

x. विटामिन-ए एसीटेट और पीयूसी दोनों का ही वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है और प्राय: एक ही उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि तेल, दूध, गेहूं के आटे (आटा और मैदा) आदि जैसे खाद्य पदार्थों को मजबूत बनाने और सौंदर्य प्रसाधन, टैबलेट और दवाओं और आहार पूरकों के निर्माण के लिए।

xi. तकनीकी साक्ष्य बताते हैं कि विटामिन ए रेटिनॉल और रेटिनाइल एस्टर के रूप में खाद्य पदार्थों में मौजूद है।

xii. 12 भारतीय कंपनियां खाद्य फोर्टिफिकेशन, टैबलेट, दवाओं और खाद्य उत्पादों और आहार पूरकों के लिए पूर्व मिश्रण तैयार करने के उद्देश्य से विटामिन-ए एसीटेट का आयात करती हैं। यह उक्त कंपनियों के उत्पादों/सामग्री डेटा शीट और वेबसाइटों से पूरी तरह स्पष्ट है।

xiii. डीएसएम ग्रुप विटामिन-ए एसीटेट का आयात भी करता है, जिसका उपयोग विटामिन-ए पामिटेट के समान खाद्य पूर्व मिश्रण और आहार पूरक बनाने में किया जाता है। डीएसएम इंडिया द्वारा विटामिन-ए एसीटेट के आयात के लिए कंपनी के संगत बिल और वाणिज्यिक बीजक तथा स्थानीय कर बीजक, साथ ही ऐसे विटामिन-ए एसीटेट से बने अनाज, विटामिन मिक्स - बेस कॉम्प्लान और चावल के लिए विटामिन मिनरल प्रीमिक्स (फोर्टीफिकेशन के लिए) के लिए विटामिन मिनरल प्रीमिक्स (वीएमपी) की बिक्री के लिए विश्लेषण का प्रमाण पत्र आदि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेज।

xiv. सार्वजनिक डोमेन जानकारी से पता चलता है कि बीएएसएफ इंडिया विटामिन-ए एसीटेट का आयात करता है। सार्वजनिक डोमेन जानकारी में यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह विभिन्न प्रकार के विटामिन-ए पामिटेट और एसीटेट को तेल के साथ-साथ पाउडर के रूप में समान अनुप्रयोगों के लिए बेचता है।

xv. याचिकाकर्ता स्वयं विभिन्न प्रकार के विटामिन-ए एसीटेट और विटामिन-ए पामिटेट को तेल और पाउडर के रूप में बेचता है।

xvi. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य पदार्थों का सुदृढ़ीकरण) विनियम, 2018 ("एफएसएसआर, 2018") रेटिनाइल एसीटेट या रेटिनाइल पामिटेट दोनों को एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करने की अनुमति देता है।

xvii. विश्व में विटामिन ए के बड़े निर्माताओं में से कोई भी केवल अंतिम चरण के रूपांतरण का कार्य नहीं करता है, बल्कि वे मूल चरण से विटामिन ए के पूर्ण-रूपेण

निर्माता हैं, क्योंकि विटामिन ए के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण गतिविधि मात्र वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य व्यवसाय नहीं है।

xviii.विटामिन-ए एसीटेट और पीयूसी को सीटीएच 2936 2100 के अंतर्गत विटामिन ए और उनकी व्युत्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क टैरिफ सुमेलीकरण के स्पष्टीकारी नोटों के अनुसार, ये दोनों उत्पाद समान यौगिक हैं - केवल दोनों यौगिकों में पदार्थ की स्थिति का अंतर है। इसलिए, वे तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

xix. उच्च मूल्य वृद्धि, अकुशल प्रचालन और उत्पादन प्रक्रिया के कारण हो सकती है। याचिकाकर्ता केवल विटामिन-ए एसीटेट को पीयूसी में बदलने के अंतिम चरण में कार्यरत है। इसके अलावा, उच्च मूल्य वृद्धि बहुत अधिक मूल्यह्रास के कारण हो सकती है। पीओआई में अन्य नियत लागतें विभाजन के बाद उनके ऊपर की ओर पुनर्मूल्यांकन के कारण शुद्ध अचल संपत्तियों के मूल्य में कई गुना वृद्धि के कारण हुई हैं।

xx. याचिकाकर्ता की क्षति का कारण उनके द्वारा अपनाई गई विनिर्माण प्रक्रिया है, जिसके कारण वे वैश्विक निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं जो मूल चरण से उत्पादन करते हैं।

**ग.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध**

7. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद विटामिन-ए पामिटेट है, जो अपनी सभी मात्राओं और रूपों में दो उप-प्रकारों अर्थात 1.7 एमआईयू/जीएम और 1.0 एमआईयू/जीएम को कवर करता है। इन दो उप-प्रकारों के अंतिम उपयोग समान हैं और ये तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

ii. संबद्ध वस्तु का उपयोग मानव उपभोग के लिए फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक और खाद्य पूरक अनुप्रयोगों में किया जाता है।

iii. पीयूसी के दायरे में विटामिन-ए पामिटेट 1.6 एमआईयू/जीएम का उप-प्रकार शामिल नहीं है, जिसका उपयोग पशुओं द्वारा उपभोग के लिए किया जाता है।

iv. पीयूसी और विटामिन-ए एसीटेट 2.8 एमआईयू के तकनीकी और भौतिक विशेषताएं अलग-अलग और असमान हैं, जिससे ये उत्पाद सीधे एक-दूसरे के साथ प्रतिस्थापित नहीं होते हैं। विशेष रूप से, दोनों उत्पादों में अलग-अलग (i) रूप और (ii) जैव उपलब्धता और विषाक्तता है। रासायनिक विशेषताओं और विषाक्तता में अंतर का समर्थन यूरोपीय आयोग की उपभोक्ता सुरक्षा संबंधी वैज्ञानिक समिति द्वारा भी किया जाता है।

v. इन दोनों उत्पादों का वाणिज्यिक रूप से अलग-अलग उपयोग है। विटामिन-ए एसीटेट का उपयोग पीयूसी के उत्पादन के लिए किया जाता है। जबकि पीयूसी का उपयोग कुछ डाउनस्ट्रीम उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है।

vi. इसके अलावा, विश्व भर में भेषजों से संबंधित विनियामक आवश्यकताओं के लिए फॉर्मूलेशन के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सामग्री/संरचना (पीयूसी सहित) के पंजीकरण की आवश्यकता होती है - इसे देखते हुए, व्यवसायों के लिए विटामिन-ए पामिटेट के बजाय विटामिन-ए एसीटेट का उपयोग करना वाणिज्यिक या तकनीकी रूप से विवेकपूर्ण नहीं है। इसलिए, विटामिन-ए एसीटेट और पीयूसी दोनों ही वाणिज्यिक या तकनीकी रूप से एक दूसरे के प्रतिस्थापनीय नहीं हैं।

vii. यदि विटामिन-ए एसीटेट और पीयूसी को समान माना जाता है, तो विटामिन-ए एसीटेट का सीधा आयात होगा, जैसा नहीं हुआ है। पिरामल फार्मा लिमिटेड ("पीपीएल") के अलावा, भारत में विटामिन-ए एसीटेट आयात करने वाली कोई कंपनी नहीं है।

viii. एकल प्रयोक्ता ने उन अनुप्रयोगों में विटामिन-ए एसीटेट के वास्तविक उपयोग को प्रदर्शित करने वाली जांच में भाग नहीं लिया है जहां विटामिन-ए पामिटेट का आमतौर पर उपयोग किया जाता है।

ix. याचिकाकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, यह देश में विटामिन-ए एसीटेट का एकमात्र आयातक बना हुआ है।

x. विटामिन-ए एसीटेट और पीयूसी विटामिन ए अणुओं के एस्टर हो सकते हैं, लेकिन वे समान वस्तुएं नहीं हैं।

xi. प्राधिकारी ने पहले स्विट्जरलैंड और *चीन जन. गण. से विटामिन-ए पामिटेट के आयात के संबंध में मूल और निर्णायक समीक्षा* पाटनरोधी जांच में विटामिन-ए पामिटेट 1.6 एमआईयू/जीएम को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा है। प्राधिकारी ने विशेष रूप से देखा कि विटामिन-ए पामिटेट 1.0 एमआईयू/जीएम और विटामिन-ए पामिटेट 1.7 एमआईयू/जीएम के बीच उनके समान अंतिम उपयोगों के कारण प्रवंचना का मुद्दा उठ सकता है, तथापि विटामिन-ए पामिटेट 1.6 एमआईयू/जीएम के पूरी तरह से अलग अंतिम उपयोग हैं, अर्थात पशु चारे के लिए और इसलिए इसे पीयूसी के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

xii. डीएसएम समूह द्वारा भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 का उल्लेख काफी सरलीकृत किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाटनरोधी कानून के अंतर्गत "समान वस्तु" को परिभाषित करने का उद्देश्य और प्रयोजन पेटेंट कानून के अंतर्गत अलग-अलग है। इसी प्रकार, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन) विनियम 2018 पाटनरोधी कानूनों के अंतर्गत "समान वस्तु" निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए असंगत है। वास्तव में, केवल यही तथ्य कि हितबद्ध पक्षकार बाहरी वैधानिक परिभाषाओं (समान वस्तु प्रावधानों और पूर्व उदाहरण के बजाय) पर भरोसा कर रहे हैं, यह अनजाने में स्वीकारोक्ति है कि विटामिन-ए पामिटेट और विटामिन-ए एसीटेट समान वस्तु नहीं हैं।

xiii. प्राधिकारी ने पूर्व में जांच की है कि क्या समानता निर्धारित करने के लिए दो उत्पादों के बीच महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन हुआ है और क्या ऐसे उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। वर्तमान जांच में प्राधिकारी को यह भी विचार करना चाहिए कि क्या पीयूसी का उत्पादन करने के लिए विटामिन-ए एसीटेट में कोई महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन होता है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि वास्तव में विटामिन-ए एसीटेट पर पीयूसी के उत्पादन के लिए काफी अधिक

मूल्यवर्धन (40 प्रतिशत से अधिक) किया गया है। अत: ये दोनों उत्पाद समान वस्तुएं नहीं हैं।

## ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

8. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को पीयूसी और पीसीएन के दायरे पर अपने अनुरोध प्रस्तुत करने का अवसर दिया था। जांच के बाद की टिप्पणियों का आकलन करने के बाद, अधिसूचना फा. सं. 6/7/2024-डीजीटीआर दिनांक 14 मई, 2024 के माध्यम से, प्राधिकारी ने अधिसूचित किया कि उसने पीसीएन के बिना जांच को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और जांच शुरूआत अधिसूचना में यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के दायरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

9. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि विटामिन-ए पामिटेट और विटामिन-ए एसीटेट समान उत्पाद हैं। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई भी हितबद्ध पक्षकार यह प्रदर्शित नहीं कर पाया है कि विटामिन ए एसीटेट का उपयोग सीधे विटामिन ए पामिटेट के समान अंतिम उपयोग और अनुप्रयोगों के लिए सीधे किया जा रहा है। आयात आंकड़ों के सत्यापन से यह देखा गया है कि विटामिन ए पामिटेट के समान अनुप्रयोगों में विटामिन ए एसीटेट का कोई प्रत्यक्ष आयात और उपयोग नहीं है। इस प्रकार, दोनों उत्पादों की समानता या परस्पर उपयोग सिद्ध नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के अनुरोधों से नोट किया है कि दोनों उत्पादों के स्वरूप, वितरणीयता, जैव उपलब्धता और विषाक्तता में अंतर है। रासायनिक विशेषताओं और विषाक्तता में अंतर को प्रमाणित करने के लिए, घरेलू उद्योग ने उपभोक्ता सुरक्षा पर यूरोपीय आयोग की वैज्ञानिक समिति की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखा है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया और विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करते समय घरेलू उद्योग द्वारा किए गए मूल्यवर्धन को सत्यापित किया है। इसे विटामिन ए एसीटेट से विटामिन ए पामिटेट बनाने की प्रक्रिया को विनिर्माण गतिविधि की प्रकृति का मानने के लिए पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण पाया गया है।

10. प्राधिकारी ने *चीन जन. गण. और स्विट्जरलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विटामिन-ए पामिटेट के आयातों से संबंधित में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा*[1] के अंतिम जांच परिणामों का भी उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया था कि जब एक मध्यवर्ती इनपुट अर्थात विटामिन-ए एसीटेट को एक रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम उत्पाद अर्थात पीयूसी में परिवर्तित किया जाता है, तो उक्त प्रक्रिया विनिर्माण का गठन करती है और उक्त दोनों उत्पाद समान वस्तुंए नहीं बन सकते हैं। परिणामस्वरूप, यह माना गया था कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2 (ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग होने का पात्र था। विचाराधीन मामले के लिए इसकी प्रासंगिकता को देखते हुए, इसे संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> *"...17. यह नोट किया जाता है कि विटामिन ए एसीटेट 2.8 एमआईयू संबद्ध वस्तु के निर्माण के लिए कच्ची सामग्री है और यह "समान वस्तु" नहीं है। संबद्ध वस्तु और विटामिन ए एसीटेट के तकनीकी और भौतिक विशेषताएं अलग-अलग और असमान हैं और इन्हें सीधे विटामिन ए एसीटेट से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है जैसा कि निर्यातक द्वारा दावा किया गया है। इसके अलावा, संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला के साथ एक जटिल रासायनिक प्रतिक्रिया शामिल है जो विटामिन ए एसीटेट क्रिस्टल पर की जाती है, जो कच्ची सामग्री अर्थात अर्थात, विटामिन ए एसीटेट में एक महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन करती है।*
>
> *32. ... प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला के साथ एक जटिल रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जो विटामिन ए एसीटेट क्रिस्टल पर की जाती है अर्थात विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण के लिए आयातित कच्ची सामग्री जिसमें पर्याप्त मूल्यवर्धन और श्रम और प्रौद्योगिकी का नियोजन शामिल है।*
>
> *33. यह स्मरण किया जा सकता है कि दिनांक 10 फरवरी, 2012 के सेस्टेट निर्णय पश्चात जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कहा था कि:*
>
> *"iii... प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब एक मध्यवर्ती इनपुट को रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है, तो रूपांतरण की प्रक्रिया विनिर्माण का गठन करती है और दोनों समान वस्तुओं का गठन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, उत्पादन के मार्ग/प्रौद्योगिकी/प्रक्रिया में परिवर्तन किसी घरेलू उत्पादक*

[1] चीन जन. गण. और स्विट्जरलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विटामिन-ए पामिटेट के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा, अंतिम जांच परिणाम दिनांक 21 अगस्त, 2013 निम्न पर उपलब्ध हैं। https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin_SSR_Vitamin_A_Switzerland_ChinPR.pdf.

*को घरेलू उद्योग के दर्जे से वंचित नहीं करता है, जब तक कि वह संबद्ध वस्तु के उत्पादन और आपूर्ति में शामिल है।"*

*34. ... इस प्रकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु का समस्त उत्पादन करता है और इस प्रकार नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है।"*

11. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इसके विपरीत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके मद्देनजर, प्राधिकारी ने पाया कि विटामिन ए एसीटेट और विटामिन ए पामिटेट "समान वस्तु" नहीं हैं। तदनुसार, पीयूसी इस प्रकार है -

*वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद "विटामिन-ए पामिटेट" है, जिसमें विटामिन ए पामिटेट 1.7 एमआईयू/जीएम और विटामिन ए पामिटेट 1.0 एमआईयू/जीएम दोनों अपनी सभी मात्राओं और रूपों में, स्थिरीकरण के साथ या उसके बिना शामिल हैं। यद्यपि केवल सांद्रता में अंतर है, तथापि विटामिन-ए पामिटेट 1.7 एमआईयू/जीएम और विटामिन-ए पामिटेट 1.0 एमआईयू/जीएम एक ही अंतिम उपयोग वाले उत्पाद उप-प्रकार हैं और तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय भी हैं।*

*पीयूसी के दायरे में विटामिन-ए पामिटेट 1.6 एमआईयू/जीएम शामिल नहीं हैं जिसका उपयोग पशुओं द्वारा उपभोग के लिए किया जाता है और पीयूसी की तुलना में इसके अंतिम उपयोग अलग-अलग हैं।*

12. संबद्ध वस्तु को सामान्यतः अधिनियम की अनुसूची-I के टैरिफ मद 29362100 के अंतर्गत भारत में आयात किया जाता है। तथापि, संबद्ध वस्तु को अधिनियम की अनुसूची-I के टैरिफ मद 29362290, 29362800, 29369000, 29362690, तथा 29362990 के अंतर्गत भी आयात किया गया है। उत्पाद का सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु में कोई खास अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु रासायनिक विशेषताओं, उत्पाद विनिर्देशनों, तकनीकी विनिर्देशनों, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यों एवं उपयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण

एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से संबद्ध देशों से आयातित वस्तु से तुलनीय हैं। तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से ये दोनों एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कीज जा सकती हैं। तदनुसार, प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु हैं।

## घ. <u>घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति</u>

### घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

14. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. विटामिन-ए एसीटेट को सरलता से पीयूसी में बदला जा सकता है।
ii. मिथाइल पामिटेट, उत्प्रेरक और विलायक को जोड़ने के अलावा, विटामिन-ए एसीटेट को विटामिन-ए पामिटेट में बदलने के लिए प्रसंस्करण के लिए किसी बड़े इनपुट की आवश्यकता नहीं होती है।
iii. ओसवाल वूलेन मिल्स लिमिटेड मामले में स्थापित कानूनी पूर्व उदाहरण के अनुसार, यदि दो उत्पाद सरलता से परिवर्तनीय हैं और निर्यातकों द्वारा उन्हें इस रूप में मान्यता दी जाती है, तो उन्हें "समान उत्पाद" माना जा सकता है।
iv. याचिकाकर्ता केवल विटामिन-ए एसीटेट को पीयूसी में बदलने के अंतिम चरण में कार्यरत है। इसके अलावा, बहुत अधिक मूल्यह्रास के कारण उच्च मूल्यवर्धन में योगदान हो सकता है। पीओआई में अन्य नियत लागतें विभाजन के बाद उनके ऊपर की ओर पुनर्मूल्यांकन के कारण निवल अचल संपत्ति के मूल्य में कई गुना वृद्धि के कारण हो सकती हैं।
v. डीजीटीआर को यह मानना चाहिए कि विटामिन-ए एसीटेट पीयूसी के समान वस्तु है और याचिकाकर्ता को विटामिन-ए एसीटेट के आयात का विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया चाहिए ताकि पक्षकार याचिकाकर्ता की स्थिति पर टिप्पणी कर सकें।
vi. अत:, याचिकाकर्ता विटामिन-ए एसीटेट का आयातक होने के नाते घरेलू उद्योग होने का पात्र नहीं है।

### घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

15. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. पिरामल फार्मा लिमिटेड. पीओआई में भारत में पीयूसी का एकमात्र उत्पादक है। तथापि, पीओआई से पहले की अवधि में, याचिकाकर्ता के फार्मा व्यवसाय में कॉर्पोरेट पुनर्गठन हुआ था।

ख. मार्च, 2020 के अनुसार: याचिकाकर्ता को 4 मार्च, 2020 को निगमित किया गया था और 80 प्रतिशत स्वामित्व पी.ई.एल. के पास था। फार्मा व्यवसाय (जिसमें पी.यू.सी. के उत्पादन में शामिल डिग्वाल और महाड संयंत्र शामिल हैं) पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड ("पी.ई.एल.") का हिस्सा था।

ग. अक्टूबर, 2020 के अनुसार: डिग्वाल संयंत्र को अक्टूबर, 2020 में पी.पी.एल. को हस्तांतरित किया गया था और महाड़, संयंत्र सहित फार्मा व्यवसाय पी.ई.एल. का हिस्सा बना रहा।

घ. अप्रैल, 2022 के अनुसार: फार्मा व्यवसाय और महाड संयंत्र को 1 अप्रैल, 2022 को पी.ई.एल. से पी.पी.एल. को हस्तांतरित कर दिया गया था। डिग्वाल संयंत्र पी.पी.एल. का हिस्सा बना रहा।

ड. सितंबर, 2022 के अनुसार: 1 अप्रैल, 2022 को फार्मा व्यवसाय के विभाजन से पहले, पीईएल का स्वामित्व 56 प्रतिशत शेयरधारकों और 44 प्रतिशत प्रवर्तकों के पास था। बदले में पीपीएल का 80 प्रतिशत स्वामित्व पीईएल के पास था। विभाजन के बाद, 5 सितंबर, 2022 को उक्त 80 प्रतिशत शेयरधारिता रद्द कर दी गई और पीईएल के शेयरधारकों को पीईएल में प्रत्येक एक (1) शेयर के लिए पीपीएल के चार (4) शेयर आवंटित किए गए। पीईएल के प्रवर्तक पीपीएल के भी प्रवर्तक बन गए। परिणामस्वरूप, पीपीएल को 19 अक्टूबर, 2022 को बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध किया गया। तदनुसार, पीईएल और पीपीएल के बीच संबंध 80 प्रतिशत सामान्य शेयरधारकों और प्रवर्तकों के होने के कारण है। वास्तव में, पीईएल और पीपीएल के मालिक समान रहे और जो व्यक्ति/कंपनियां पीईएल का स्वामित्व रखती हैं, वही विभाजन के बाद पीपीएल का 80 प्रतिशत हिस्सा भी रखती हैं।

च. यह नोट करना संगत है कि कॉर्पोरेट पुनर्गठन/विभाजन प्रक्रिया के तौर-तरीके 26 अगस्त, 2022 को जारी समग्र व्यवस्था योजना ("सीएसए") के माध्यम से निर्धारित किए गए थे। पीईएल ने जुलाई, 2022 में एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में अपना लाइसेंस प्राप्त किया। उसी दौरान और लगभग उसी समय, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ("एनसीएलटी"), भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई"), भारतीय

प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी"), लेनदारों और शेयरधारकों, आदि से विभाजन के लिए अनुमोदन प्राप्त किए गए थे। विशेष रूप से, 12 अगस्त, 2022 के एनसीएलटी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सीएसए को 1 अप्रैल, 2022 की नियत तारीख के साथ मंजूरी दी गई है।

छ. तदनुसार, फार्मा व्यवसाय के कानूनी ढांचे में पीईएल से पीपीएल में परिवर्तन के अलावा, निर्मित किए जा रहे पीयूसी के दायरे, पीयूसी के उत्पादन से संबंधित प्रक्रिया, महाड संयंत्र के कर्मियों, शेयरधारकों, प्रवर्तकों, अध्यक्ष, सीईओ (ग्लोबल फार्मा), पाटन, क्षति और पीयूसी के उत्पादक के साथ कारणात्मक संबंध के बारे में कोई अन्य परिवर्तन नहीं हुआ है। पीरामल समूह के भेषज व्यवसाय को क्षति अवधि के दौरान क्षति का सामना करना पड़ा, तथापि संयंत्रों के तकनीकी स्वामित्व को व्यापक समूह उद्देश्यों की सेवा के लिए पुनर्गठित किया गया था। अत:, वर्तमान याचिका के प्रयोजनार्थ क्षति का आकलन पीयूसी के उत्पादन में शामिल दोनों संयंत्रों अर्थात दिगवाल और महाड, जो भी लागू हो, पर आधारित है।

ज. चूंकि पीपीएल, पीयूसी का एकमात्र उत्पादक है और उसने न तो पीयूसी का आयात किया है और न ही वह (i) संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों या (ii) भारत में पीयूसी के आयातकों से संबंधित है, अत: यह एक पात्र घरेलू उद्योग है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 (3) के साथ पठित नियम 2 (ख) के अंतर्गत अपेक्षित स्थिति रखता है।

**घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच**

16. पाटनरोधी नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

*''घरेलू उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले ''घरेलू उद्योग'' शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।*

17. वर्तमान आवेदन पिरामल फार्मा लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है, जो भारत में पीयूसी का एकमात्र उत्पादक है।

18. आवेदक न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयातक है और न ही वह संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के आयातक से संबंधित हैं। जैसा कि ऊपर संगत खंड में स्पष्ट किया गया है, चूंकि विटामिन ए एसीटेट और विटामिन, ए पामिटेट समान वस्तु नहीं हैं, इसलिए आवेदक पीयूसी का आयातक नहीं है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने विटामिन ए एसीटेट से विटामिन ए पामिटेट का निर्माण करते समय घरेलू उद्योग द्वारा किए गए मूल्यवर्धन का आकलन किया है और नोट करते हैं कि उत्पाद का काफी मूल्यवर्धन हुआ है। इसके अनुरूप, *चीन जन. गण. और स्विटजरलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विटामिन-ए पामिटेट के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा*[2] *के अंतिम जांच परिणाम* में यह माना गया था कि जब एक मध्यवर्ती इनपुट अर्थात विटामिन-ए एसीटेट को रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम उत्पादअर्थात पीयूसी में परिवर्तित किया जाता है, तो उक्त प्रक्रिया विनिर्माण का गठन करती है।

19. इसके अलावा, आवेदक द्वारा पीयूसी का उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का संपूर्ण हिस्सा है।

20. इस प्रकार, आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत यथा परिभाषित घरेलू उद्योग है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है।

## ड. <u>गोपनीयता</u>

### ड.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

21. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. याचिकाकर्ता ने उत्पादन प्रक्रिया, क्षतिरहित कीमत की गणना, शटडाउन की अवधि में सामान्य मूल्य की गणना के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है।

[2] चीन जन. गण. और स्विट्जरलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विटामिन-ए पामिटेट के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा, अंतिम जांच परिणाम दिनांक 21 अगस्त, 2013 निम्न पर उपलब्ध हैं।
https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin_SSR_Vitamin_A_Switzerland_ChinPR.pdf

ii. कंपनी की संरचना में किए गए परिवर्तनों से संबंधित जानकारी व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार अनिवार्य रूप से प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

iii. कार्यालयों और संयंत्रों के संपर्क विवरण व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार अनिवार्य रूप से प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

iv. डीएसएम इंडिया द्वारा प्रदान की गई छूट, रियायत या कमीशन, यदि कोई हो, का विवरण डीएसएम इंडिया के प्रश्नावली के उत्तर में दिया गया है।

v. प्रतिवादियों द्वारा अपनाई गई आंतरिक लागत और लेखांकन विधियों के कारण स्थापित क्षमता से संबंधित आंकड़े नहीं दिए जा सकते हैं।

vi. उत्पादन प्रक्रिया और प्रमुख कच्ची सामग्री के नाम एक व्यापार रहस्य है और संगत व्यापार सूचना द्वारा कवर किया गया है।

vii. प्रति इकाई बिक्री लागत, घरेलू बिक्री, प्रति इकाई बिक्री, लागत-निर्यात, प्रति इकाई पीबीआईटी, कुल पीबीआईटी, ब्याज/वित्त लागत, मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय सहित व्यौदा देना आवश्यक नहीं है।

**ड.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

22. घरेलू उद्योग ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

i. घरेलू उद्योग अनुरोध करता है कि प्रतिवादियों ने प्राधिकारी द्वारा दिनांक 7 सितंबर, 2018 को जारी व्यापार सूचना संख्या 10/2018 में निर्धारित आवश्यकताओं का उल्लंघन करते हुए अत्यधिक गोपनीयता बरती है।

ii. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध करता है कि डीएसएम समूह ने गोपनीयता के अनुचित दावों के साथ बहुत ही अपर्याप्त उत्तर प्रस्तुत किए हैं।

क. डीएनपी एजी ने कहा है कि उसकी संबंधित इकाई, डीएसएम न्यूट्रीशनल प्रोडक्ट्स यूरोप एजी ("डीएसएम यूरोप") स्विट्जरलैंड में डीएनपी एजी द्वारा किए गए पीयूसी की बिक्री के लिए एक व्यापार और बीजक कंपनी के रूप में कार्य करती है। तथापि, डीएनपी यूरोप प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने में विफल रही है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह डीएनपी यूरोप को डीएसएम

कंपनियों की मूल्य श्रृंखला में कंपनी की भूमिका का आकलन करने के लिए एक उचित प्रश्नावली प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का निर्देश दें।

ख. इस बारे में जानकारी कि क्या कंपनी ने पिछले तीन वर्षों में पीओआई सहित कोई संरचनात्मक परिवर्तन किया है। यह अनुरोध किया गया है कि ऐसी जानकारी का प्रकटन किसी भी तरह से उत्पादक के हितों के लिए हानिकारक नहीं हो सकता है। ऐसी जानकारी का प्रकटन करने में विफलता जानबूझकर की गई है और यह उत्पादक के संबद्ध जांच में पूरी तरह से सहयोग नहीं करने के इरादे को दर्शाता है।

ग. सार्वजनिक डोमेन में ऐसी जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद, संगत कार्यालयों, कारखानों और संयंत्रों के संपर्क विवरण के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है। यह अनुरोध किया जाता है कि ऐसी जानकारी का प्रकटन किसी भी तरह से उत्पादक के हितों के लिए हानिकारक नहीं हो सकता है। ऐसी जानकारी का प्रकटन करने में विफलता जानबूझकर की गई है और यह उत्पादक की इस संबद्ध जांच में पूर्ण सहयोग न करने की मंशा को दर्शाता है।

घ. उत्पादक/व्यापारी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या संबंधित आयातक डीलरों को कमीशन सहित अंतिम ग्राहकों को कोई छूट या रियायत प्रदान करता है या नहीं।

ङ. डीएनपी इंडिया डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के बारे में विवरण प्रदान करने में भी विफल रही है। चूंकि प्रभाव की संपूर्णता को गोपनीय रखा गया है, इसलिए घरेलू उद्योग इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता है।

iii. घरेलू उद्योग ने आगे अनुरोध किया है कि शांग्यू एनएचयू बायो-केम कंपनी लिमिटेड, झेजियांग एनएचयू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, सिंकेम इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड और एनएचयू (हांगकांग) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से **"एनएचयू समूह"** कहा गया है) ने गोपनीयता के अनुचित दावों के साथ बिल्कुल अपर्याप्त उत्तर प्रस्तुत किया है।

क. इसके शेयरधारिता पैटर्न के बारे में जानकारी प्रदान नहीं की गई है, यद्यपि ऐसी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हो।

ख. संगत कार्यालयों, कारखानों और संयंत्रों के संपर्क विवरण के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है, जबकि ऐसी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

ग. सिंकेम इस बारे में जानकारी देने में विफल रहा है कि क्या कंपनी ने पीओआई सहित पिछले तीन वर्षों में कोई संरचनात्मक परिवर्तन किया है। विशेष रूप से, घरेलू उद्योग सिंकेम द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर से नोट करता है कि सिंकेम और आई एंड ई एक दूसरे से संबंधित थे।

iv. के. सेवंती लाल ने 5 जून, 2024 को प्राधिकारी को अपनी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है, जो कि प्राधिकारी द्वारा 28 मई, 2024 की अधिसूचना के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा, अर्थात 4 जून, 2024 के बाद है। के. सेवंती लाल के प्रश्नावली के देरी से उत्तर को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

v. बिना किसी पूर्वाग्रह के, के. सेवंती लाल एंड कंपनी अपनी फर्म की स्थापना की तारीख प्रदान करने में विफल रही है । जबकि इसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त सूचना का प्रकटन किसी भी तरह से इन पक्षकारों के हितों के लिए हानिकारक नहीं हो सकता है तथा यह गैर-प्रकटन पक्षकारों के असहयोग के इरादे को दर्शाता है।

vi. यह अनुरोध किया गया है कि सभी पूर्वोक्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को प्राधिकारी की विगत प्रक्रिया के आधार पर अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। *कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, थाईलैंड, यूएई और यूएसए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच*[3] में, प्राधिकारी ने एक उत्पादक समूह के उत्तरों को अस्वीकार करना उचित समझा, क्योंकि वे पूरी जानकारी प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में विफल रहे थे। प्राधिकारी ने यह भी कहा कि डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुबंध-II के पैरा 7 में उल्लेख है कि यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सहयोग नहीं करता है और इस प्रकार संगत जानकारी को प्राधिकारियों से छिपाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति उस पक्षकार को सहयोग करने की तुलना में उस पक्षकार को कम अनुकूल परिणाम की ओर ले जा सकती है।

[3] कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, थाईलैंड, यूएई और यूएसए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच। अंतिम जांच परिणाम 01 अप्रैल, 2022
https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin_SSR_Vitamin_A_Switzerland_ChinPR.pdf. पर उपलब्ध है।

vii. उपर्युक्त प्रक्रिया की निरंतरता थाईलैंड के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "बसों और लॉरियों के लिए रबड़ के न्यू न्यूमेटिक रेडियल टायर" चाहें ट्यूब और /या फ्लैप सहित हों या रहित'' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क जांच[4] में और साथ ही इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सैकरीन" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क जांच[5] में और अधिक परिलक्षित होती है। इस प्रकार, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जब प्राधिकारी ने पहले केवल हस्ताक्षरित प्रारूप प्रदान नहीं करने या अधूरी और गलत जानकारी प्रदान करने के कारण प्रतिक्रियाओं को अस्वीकृत कर दिया है, तो विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई अत्यधिक अपर्याप्त उत्तरों अस्वीकृत किए जाने योग्य हैं।

viii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अगोपनीय अंश की प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझने के लिए पर्याप्त विस्तृत में नहीं हैं। पक्षकार न केवल सार्थक उत्तर देने में विफल रहे हैं, बल्कि इस तरह की अत्यधिक गोपनीयता का दावा करने के लिए कोई कारण भी बताने में विफल रहे हैं।

ix. माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय सेस्टेट द्वारा क्रमशः *रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी*[6] और *अल्कली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी*[7] के मामलों के माध्यम से पारदर्शिता और संगत जानकारी तक पहुंच की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है।

x. इस प्रकार, जब जांच में शामिल कोई पक्षकार गोपनीय सूचना प्रदान करता है, तो उसे गोपनीय अंश की सटीक अनुकृति में उसका सार्थक अगोपनीय सारांश भी प्रदान करना चाहिए और यदि सूचना का सारांशीकरण नहीं किया जा सकता है, तो संबंधित पक्षकार को ऐसे गैर-सारांशीकरण के कारणों को बताना आवश्यक है। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर गोपनीयता का दावा करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं बताते हैं और बहुत कम हैं।

---

[4] थाईलैंड के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "बसों और लॉरियों के लिए रबड़ के न्यू न्यूमेटिक रेडियल टायर" चाहें ट्यूब और /या फ्लैप सहित हों या रहित'' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क जांच। अंतिम जांच परिणाम दिनांक 27 नवंबर, 2020 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Tyre%20FF%20NCV.pdf पर उपलब्ध हैं।

[5] इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सैकरीन" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क जांच । अंतिम जांच परिणाम दिनांक 29 मार्च, 2019 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/FF-NCV-29-3-2019.pdf. पर उपलब्ध हैं।

[6] रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2006 (2002) ईएलटी 23 (एससी)

[7] अल्कली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2006 (194) ईएलटी 161 (टीआरआई-डीईएल)

xi. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के आधार पर इन पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए और उन्हें असहयोगी घोषित किया जाना चाहिए।

**ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच**

23. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना का अगोपनीय अंश अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया ।

24. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7-में निम्नानुसार व्यवस्था है-:

*"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।*

*(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।*

*(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।*

25. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने संगत व्यापार सूचना का उल्लंघन करते हुए अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कहा है कि व्यवसाय के प्रति संवेदनशील जानकारी के प्रकटन से कंपनी के व्यवसायिक

हितों को अपूरणीय क्षति होगी और संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, स्वीकार कर लिया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसे प्रकट नहीं किया गया है।



## च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

### च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

26 सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. याचिकाकर्ता द्वारा पाटन मार्जिन का निर्धारण गलत है, क्योंकि यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत बहुत गलत थे। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे विश्व व्यापार एटलस से यूरोपीय संघ में कच्चे माल की आयात कीमतों, कच्चे माल/उपयोगिता उपभोग अनुपात के लिए क्षति अवधि के दौरान सर्वोत्तम उपयोग अनुपात और अन्य लागतों के लिए एनआईपी के लिए इष्टम लागतों पर विचार करें। निर्यात कीमत के संबंध में, इसने अनुरोध किया कि निर्यात कीमत की गणना के लिए सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दी गई जानकारी पर विचार किया जाए।

ii. याचिका में स्विट्जरलैंड के लिए संरचित सामान्य मूल्य तथ्यात्मक रूप से गलत है। डीएसएम एक बुनियादी चरण से विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करता है, जबकि घरेलू उद्योग एसीटेट आयात करता है और विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करता है। डीएसएम समूह अत्यधिक प्रौद्योगिकी गहन प्रक्रिया में बहुत बुनियादी चरण से विचाराधीन उत्पाद का निर्माण करता है। इस कारण से, याचिकाकर्ता और डीएसएम समूह के उपभोग मानदंड भी तुलनीय नहीं हैं। अत:, स्विट्जरलैंड के लिए सामान्य मूल्य की गणना के लिए याचिकाकर्ता के कच्चे माल की लागत और उपभोग मानदंडों पर विचार करना बहुत गलत है।

iii. याचिकाकर्ता द्वारा स्विट्जरलैंड के लिए पाटन निर्धारित करने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली अवैध है क्योंकि कानून बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का संरचित किए जाने की अनुमति नहीं देता है।

iv. लागत/उपभोग मानदंड याचिकाकर्ता के मानदंड से तुलनीय नहीं हैं क्योंकि याचिकाकर्ता बैकवर्ड इंटिग्रेटेड है और याचिकाकर्ता की लागत में अचल संपत्तियों के ऊपर की ओर पुनर्मूल्यांकन के कारण अवमूल्यन का प्रभाव शामिल है।

v. चीन को 11 दिसंबर, 2016 से डब्ल्यूटीओ में चीन के प्रवेश पर प्रोटोकॉल की समाप्ति के आलोक में बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी को इस जांच में अनुरूप देश के आंकड़ों को लागू करने के बजाय सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए इस प्रतिक्रिया में कंपनी द्वारा प्रदान प्रदान किए गए लागतों और कीमतों पर इन आंकड़ों को लागू करना चाहिए।

vi. आवेदक ने समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन आदि के लिए निराधार समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह सहकारी उत्पादकों द्वारा निर्यात कीमत की गणना पर विचार करें।

vii. डीएसएम ने कहा कि कंपनियों के बीच ओवरहेड अलग-अलग हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता की रूपांतरण लागत में अचल संपत्तियों के भारी ऊपर की ओर पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यह्रास का प्रभाव भी शामिल है।

viii. याचिकाकर्ता ने 2010-11 में अपने परिचालन को ठाणे संयंत्र से दिगवाल संयंत्र में स्थानांतरित कर दिया था। दिगवाल संयंत्र के विपरीत, ठाणे संयंत्र पहले चरण से ही विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करता था। विनिर्माण संयंत्र में इस बदलाव के कारण उत्पादन प्रक्रिया की लागत संरचना में बदलाव आया और इसे प्राधिकारी द्वारा चीन जन.गण. और स्विट्जरलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए विटामिन-ए पामिटेट के आयात पर निर्णायक समीक्षा जांच में जारी अंतिम जांच परिणामों में दर्ज किया गया।

ix. याचिकाकर्ता की लागत के आधार पर संरचित सामान्य मूल्य अत्यधिक भ्रामक है और डीएसएम समूह की लागत और परिणामस्वरूप डीएसएम समूह के लिए अनुमानित पाटन और क्षति मार्जिन के संबंध में गलत तथ्यात्मक स्थिति को दर्शाता है।

x. पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3)(ख) में प्राधिकारी के लिए पाटन, क्षति तथा पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्तता की जांच के बाद ही जांच शुरू करना अपेक्षित है।

xi. बीएएसएफ समूह समझता है कि घरेलू बाजार में बिक्री चैनल में लगी सभी कंपनियों को व्यक्तिगत शुल्क प्राप्त करने के लिए सहयोग करना आवश्यक है। बीएएसएफ एसई की कई समूह कंपनियां यूरोपीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री चैनल में लगी हुई हैं। बीएएसएफ समूह की कंपनियां अपनी वित्तीय जानकारी साझा करने में सहज नहीं थीं क्योंकि संबद्ध वस्तुओं का उनका व्यवसाय उनके कुल व्यवसाय/बिक्री का एक छोटा हिस्सा है। इसलिए, प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने में बीएएफएफ की विफलता महत्वपूर्ण पाटन में इसकी भागीदारी का संकेत नहीं है।

xii. दिनांक 10 सितम्बर 2018 की व्यापार सूचना संख्या 11/2018 के पैरा 3(iv) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी हितबद्ध पक्षकार, जिसने निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी के पास स्वयं को पंजीकृत करा लिया है, किन्तु प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, को कानूनी अनुरोधों को प्रस्तुत कर, सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेकर, प्रकटन टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर जांच करने आदि के अन्य चरणों में भाग लेने से नहीं रोका जाएगा।

**च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

27. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. बीएएसएफ के पास प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने का हर अवसर था, जिसमें निस्संदेह सामान्य मूल्य के लिए संगत सूचना और साक्ष्य शामिल होंगे। रिकॉर्ड पर बीएएसएफ के प्रश्नावली के उत्तर के न होने पर, प्राधिकारी को पाटन मार्जिन या क्षति मार्जिन के संबंध में बीएएसएफ से किसी भी असत्यापित अनुरोध पर विचार नहीं करना चाहिए।

ii. बीएएसएफ के प्रश्नावली का उत्तर के न होने को केवल इस बात की स्वीकृति के रूप में माना जा सकता है कि बीएएसएफ भारत में विचाराधीन उत्पाद का बहुत अधिक पाटन कर रहा है।

iii. याचिकाकर्ता किसी भी विश्वसनीय स्रोत से स्विट्जरलैंड में विचाराधीन उत्पाद की कीमतें और/या स्विट्जरलैंड से निर्यात बिक्री कीमतों को प्राप्त करने में असमर्थ था। याचिकाकर्ता सार्वजनिक डोमेन से स्विट्जरलैंड में उत्पादन की लागत का स्रोत भी प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। उपरोक्त के मद्देनजर और प्राधिकारी की कार्य-पद्धति के अनुसार, याचिकाकर्ता ने भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य संरचित किया।

iv. डीएनपी यूरोप प्रश्नावली का पूरा उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहा है, जिसके कारण डीएनपी एजी और डीएसएम यूरोप के उत्तर व्यापार सूचना संख्या 06/20212.18 के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल होते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रश्नावली के उत्तर में निम्नलिखित पहलू नहीं हैं: (क) सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी की गोपनीयता की मांग करना; (ख) व्यापार नोटिस 10/2018 के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के बावजूद अत्यधिक गोपनीयता।

v. स्विट्जरलैंड के उत्पादकों और उनके व्यापारियों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तरों को निर्यात की अपूर्ण श्रृंखला के कारण प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार किया ही जाना चाहिए।

vi. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध I के पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (2) में यह प्रावधान है कि किसी देश को पाटनरोधी जांच के उद्देश्य से गैर-बाजार अर्थव्यवस्था ("एनएमई") माना जाएगा, यदि जांच की अवधि से पहले के तीन (3) वर्षों में उसे एनएमई के रूप में माना गया हो, जब तक कि जांच में सहयोग करने वाले उत्पादक/निर्यातक यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश न कर दें कि वह बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के तहत काम करता है।

vii. न केवल भारतीय व्यापार सुधारात्मक जांचों में, बल्कि सभी प्रमुख क्षेत्राधिकारों में आयोजित व्यापार सुधारात्मक जांचों में भी चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानना एक सतत कार्य-पद्धति है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे क्षेत्राधिकार चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानते हैं।

viii. इसको देखते हुए, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को चीन जन.गण. में काम करने वाले उत्पादकों/निर्यातकों को एनएमई सिद्धांतों के तहत काम करने वाला मानना जारी रखना चाहिए, जब तक कि संगत सूचना प्रस्तुत करने वाले उक्त उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अन्यथा सिद्ध न किया जाए।

ix. चीन के भाग लेने वाले प्रतिष्ठानों ने बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं की है, जिसके तहत उन्होंने सिद्ध करने के लिए संगत सूचना साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के तहत काम कर रहे हैं।

x. तदनुसार, याचिकाकर्ता ने बिक्री, सामान्य, प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ के लिए विधिवत समायोजित उत्पादन की अपनी लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

xi. चीन से मात्रा में भयानक गति से वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण उत्पादन की लागत पर अपारदर्शी लागत संरचना है। चीन के निर्यातकों/निर्माताओं को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए।

xii. याचिकाकर्ता ने चीन, स्विट्जरलैंड और यूरोपीय संघ के लिए पाटन मार्जिन के संबंध में अपनी याचिका में पर्याप्त साक्ष्य और अनुरोध यह दर्शाते हुए प्रस्तुत किए हैं कि पाटन मार्जिन न्यूनतम से ऊपर और अधिक हैं।

xiii. संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर है, बल्कि अधिक भी है।

**च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

28. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

*(i)व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

*(ii)जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः-*

*(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा*

*(ख) उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;*

*बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात*

*के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।*

29. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:

**चीनी के उत्पादक और उनके निर्यातक/व्यापारी**

क. सिंकेम इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड
ख. झेजियांग एनएचयू आयात और निर्यात कंपनी लिमिटेड
ग. एनएचयू (हांगकांग) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
घ. शांगयु एनएचयू बायो-केम कंपनी लिमिटेड

**स्विट्जरलैंड के उत्पादक और उनके निर्यातक/व्यापारी**

ड. डीएसएम सिंगापुर इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड ("डीएसएम सिंगापुर")
च. डीएसएम न्यूट्रीशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड ("डीएनपी एजी")
छ. डीएसएम न्यूट्रीशनल प्रोडक्ट्स यूरोप लिमिटेड

**यूरोपीय संघ के उत्पादक और उनके निर्यातक**

यूरोपीय संघ के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए।

## छ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

**<u>चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य</u>**

30. विश्व व्यापार संगठन में चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक

डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

*" (क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद -VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:*

*(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण ,उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।*

*(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है ,यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण ,उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।*

*(ख) एससीएम समझौते के पैरा II ,III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क),14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे ,तथापि ,उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों ,तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में ,जहां व्यवहार्य हो ,आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।*

*(ग)आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।*

*(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है ,तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क)समाप्त कर दिए जाएंगे ,बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा ,आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं ,उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"*

31. यह नोट किया जाता है कि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के पाटनरोधी संबंधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में भारत की नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है।

32. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (2) में यह प्रावधान है कि किसी देश को पाटनरोधी जांच के प्रयोजन के लिए एनएमई माना जाएगा यदि उसे जांच अवधि से पहले तीन (3) पिछले वर्षों में एनएमई के रूप में माना गया है, जब तक कि जांच में सहयोग करने वाले उत्पादक/निर्यातक यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सबूत प्रस्तुत नहीं करते हैं कि वह बाजार अर्थव्यवस्था सिद्धांतों के तहत काम करता है।

33. प्राधिकारी ने पिछले तीन (3) वर्षों में पाटनरोधी जांच के उद्देश्यों से चीन को एनएमई के रूप में माना है। चूंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक ने अनुपूरक प्रश्नावली का

उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है। पैरा 7 सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पदानुक्रम निर्धारित करता है और यह प्रावधान करता है कि सामान्य मूल्य i) कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाता है ii) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संरचित मूल्य, iii) या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश में कीमत या जहां यह संभव नहीं है किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान किए जाने योग्य कीमत शामिल है, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए आवश्यक होने पर विधिवत समायोजित किया जाता है।

34. हितबद्ध पक्षकारों ने उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि में संबद्ध देशों के अलावा भारत में विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं हुआ है। इसलिए, चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य i) कीमत के आधार पर निर्धारित ii) अथवा बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्धारित मूल्य अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को कीमत निर्धारित नहीं की जा सक।

35. अत:, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में संबद्ध आयातों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण "भारत में वास्तव में देय मूल्य" के रूप में किया है, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 में निर्धारित किया गया है। इसकी गणना घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर की गई है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ को उचित रूप से जोड़ा गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

***<u>चीन के लिए निर्यात कीमत</u>***

***<u>शांगुई एनएचयू बायो-केम कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)</u>***

36. शांगयु एनएचयू बायो-केम कंपनी लिमिटेड ("शांगयु"), चीन जन.गण. के कंपनी कानून के तहत निगमित एक सीमित देयता कंपनी है। जांच की अवधि के दौरान, शांगयु एनएचयू बायो-केम कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. ने दो संबंधित निर्यातकों/व्यापारियों नामत: एनएचयू (हांगकांग) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड और झेजियांग न्हू आयात और निर्यात कंपनी लिमिटेड के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को *** आरएमबी बीजक मूल्य के *** एमटी संबद्ध वस्तु की बिक्री की है।

37. यह भी नोट किया जाता है कि झेजियांग न्हू आयात और निर्यात कंपनी लिमिटेड ने एक अन्य असंबंधित निर्यातक/व्यापारी नामत: सिंकेम इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को (*** एमटी) बेचा है। निर्माता/निर्यातक ने निर्यात कीमत को कारखानागत स्तर पर लाने के लिए अंतर्देशीय परिवहन और पैकिंग व्यय में समायोजन का दावा किया है और इस प्रकार से निर्धारित समायोजन को नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

***<u>स्विट्जरलैंड के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत</u>***

***<u>डीएसएम न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड</u>***

38. डीएसएम न्यूट्रीशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की [***] किलोग्राम बिक्री की है, जबकि इसने भारत को संबद्ध वस्तुओं की [***] किलोग्राम का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री अपर्याप्त मात्रा में है। तदनुसार, प्राधिकारी ने निर्यातक देश में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए इस पर विचार नहीं किया है।

39. यह नोट किया जाता है कि प्रश्नावली के उत्तर के भाग के रूप में स्विट्जरलैंड के उत्पादक और निर्यातक द्वारा तीसरे देशों को लेन-देन-वार निर्यात कीमत नहीं उपलब्ध कराई गई है। इस तथ्य के आधार पर कि प्रश्नावली के उत्तर में अपेक्षित अन्य संगत सूचना उत्तर देने वाले उत्पादक और निर्यातक द्वारा प्रस्तुत की गई है, प्राधिकारी ने बिक्री और प्रशासन संबंधी खर्चों को उचित रूप से जोड़ने और लाभ मार्जिन को जोड़ने के साथ मूल देश में संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के आधार पर उत्तर देने वाले उत्पादक और निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। इस प्रकार तय किए गए सामान्य मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

***<u>निर्यात कीमत</u>***

40. डीएसएम न्यूट्रीशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जो स्विट्जरलैंड में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक है, ने अपने संबंधित व्यापारी डीएसएम सिंगापुर के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं का [***] किलोग्राम का निर्यात किया है। डीएसएम सिंगापुर ने बाद में संबद्ध वस्तुओं को या तो अपनी संबंधित इकाई डीएनपी इंडिया को या असंबंधित भारतीय ग्राहकों को फिर से बेच दिया है। डीएनपी एजी द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद को या तो वेनलो के गोदाम से या सिंगापुर से भारत भेजा गया है। निर्यात की प्रक्रिया में होने वाले सभी संबंधित खर्च जैसे समुद्री माल ढुलाई, बीमा, अंतर्देशीय माल ढुलाई, बंदरगाह/गोदाम

और अन्य खर्च, क्रेडिट लागत आदि जो डीएनपी एजी या डीएसएम सिंगापुर द्वारा निर्यात के चैनल के आधार पर लागू होते हैं, को नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित एनईपी पर पहुंचने के लिए समायोजित किया गया है।

***<u>यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत</u>***

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने वर्तमान जांच में प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसे देखते हुए, प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित करते हैं। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिए गए हैं।

***<u>पाटन मार्जिन</u>***

42. वर्तमान जांच में निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निम्नानुसार हैं:

**पाटन मार्जिन तालिका**

| **क्र.सं.** | **उत्पादक का नाम** | **सामान्य मूल्य (यूएस डा./कि.ग्रा.)** | **निर्यात कीमत (यूएस डा./कि.ग्रा.)** | **पाटन मार्जिन (यूएस डा./कि.ग्रा.** | **पाटन मार्जिन** (%) | **पाटन मार्जिन** (रेंज %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **क** | **चीन जन.गण.** | | | | | |
| 1 | शांगुई एनएनयू बायो-केम कंपनी लिमिटेड | *** | *** | *** | *** | 30-40% |
| 2 | अन्य उत्पादक | *** | *** | *** | *** | 50-60% |
| **ख** | **स्विट्ज़रलैंड** | | | | | |
| 3 | डीएसएम न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड | *** | *** | *** | *** | 30-40% |
| 4 | अन्य उत्पादक | *** | *** | *** | *** | 40-50% |
| **ग** | **यूरोपीय संघ** | | | | | |
| 5 | कोई भी उत्पादक | *** | *** | *** | *** | 10-20% |

**क्षति के निर्धारण और क्षति की जांच, और कारणात्मक संबंध के लिए पद्धति**

## छ. वास्तविक क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

### छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

43. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. प्राधिकारी ने एक ऐसे जांच की अवधि पर विचार किया है जो 2022-23 की क्षति अवधि के साथ अतिव्याप्त होता है। यह अतिव्यापन इन अवधियों के बीच किसी भी तुलना को भ्रामक और गलत बनाता है।

ii. 2022 में प्रस्तुत आवेदन को आवेदक द्वारा वापस ले लिया गया था और आवेदक ने संकेत दिया था कि वह अधिक हाल की अवधि के लिए पाटन और क्षति की पूरी सीमा के लिए उपाय प्राप्त करने के लिए एक नया आवेदन दायर करने का इरादा रखता है। वापसी के लिए दावा किया गया कारण पिछले और चल रही जांच में मार्जिन की तुलना के कारण भ्रामक है।

iii. आवेदक ने पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की मौजूदगी को सिद्ध करने के लिए गलत सूचना प्रस्तुत की है।

iv. पाटनरोधी नियमावली के नियम 12 में प्रावधान है कि प्राधिकारी केवल "उपयुक्त मामलों" में प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करेंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक जांच परिणाम "किसी भी" या "सभी" मामलों में जारी नहीं किए जा सकते हैं, बल्कि केवल उन मामलों में जारी किए जा सकते हैं जहां प्राधिकारी इसे उपयुक्त पाते हैं।

v. डीएसएम समूह का यह अनुरोध है कि अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध करने वाले पीपीएल के अनुरोध, पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 7 के तहत आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। उक्त अनुच्छेद में परिकल्पित पूर्व शर्त में जांच जारी रहने के दौरान क्षति को रोकने के लिए अनंतिम उपायों को लागू करने की आवश्यकता का विश्लेषण और विवेकपूर्ण जांच आवश्यक है।

vi एटीएमए मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 12 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि प्रारंभिक जांच परिणामों में प्रारंभिक निर्धारणों के लिए पर्याप्त विस्तृत जानकारी शामिल होगी।

अत:, प्राधिकारी को अनंतिम उपायों की आवश्यकता की सावधानीपूर्वक जांच करनी ही चाहिए।

vii. अनंतिम शुल्कों की सिफारिश करते समय भी, पाटनरोधी नियमावली के नियम 12 में प्राधिकारी को पाटन और क्षति के पहलुओं पर पर्याप्त विस्तृत जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता होती है, जिसमें हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को स्वीकार या अस्वीकार करना शामिल है। विशेष रूप से, प्राधिकारी "क्षति निर्धारण के लिए संगत सभी विचारों" की जांच करने के लिए बाध्य है।

viii. प्राधिकारी का यह तर्क कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया, गलत था क्योंकि डीएसएम समूह ने विचाराधीन उत्पाद के अनुरोधों में संगत तकनीकी दस्तावेज और सूचना प्रस्तुत की थी। इन कारणों से, हम अनुरोध करते हैं कि प्राधिकारी को वर्तमान मामले में कोई भी प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने से पहले यह जांच करनी चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता को नियम 2(ख) के तहत "घरेलू उद्योग" के रूप में भी माना जा सकता है।

ix. याचिकाकर्ता को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है और यदि कोई क्षति हुई है तो वह निम्नलिखित कारणों से हुई है थी:

क. याचिकाकर्ता की विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी के कारण संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की लागत की तुलना में उत्पादन की लागत असामान्य रूप से अधिक हो जाती है;

ख. याचिकाकर्ता के बढ़े हुए मूल्यह्रास और अन्य खर्चों के कारण कॉर्पोरेट पुनर्गठन/डीमर्जर प्रक्रिया के दौरान परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण उत्पादन की लागत बढ़ जाती है।

x. वर्तमान मामले में कोई अनंतिम उपाय सुझाए जाने से पहले सभी भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों सहित सभी संबद्ध पक्षकारों से इनपुट लेने के बाद प्राधिकारी द्वारा इन कारकों का विस्तृत विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है। इन कारकों की जांच के लिए मामले के रिकॉर्ड पर मौजूद आंकड़े और साक्ष्य का विस्तृत सत्यापन आवश्यक है।

xi. दुनिया भर में डीएसएम समूह सहित विचाराधीन उत्पाद का निर्माण करने वाली सभी प्रमुख कंपनियां बैकवर्ड इंटिग्रेटेड हैं और ये विचाराधीन उत्पाद में एसिटेट को परिवर्तित करने के अंतिम चरण के बजाय मूल चरण से विचाराधीन उत्पाद का

निर्माण करती हैं। याचिकाकर्ता को क्षति याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के कारण हुई है।

xii. पिछली जांच की मौखिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा था कि विटामिन-ए एसीटेट से पामिटेट तक याचिकाकर्ता का मूल्य संवर्धन 40% है। यह मूल्य संवर्धन प्रतिशत डीएसएम समूह के लिए एसीटेट लागत पर मूल्य संवर्धन की तुलना में भी बहुत अधिक है।

xiii. याचिकाकर्ता की कच्चे माल की लागत बहुत अधिक है, जो उन्हें डीएसएम समूह सहित निर्यातकों की तुलना में नुकसान की स्थिति में डालती है। याचिकाकर्ता और डीएसएम समूह के लिए विचाराधीन उत्पाद की लागत की तुलना से पता चलता है कि डीएसएम समूह की तुलना में याचिकाकर्ता की विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन की लागत बहुत अधिक है - इसमें अंतर [40 - 50%] तक पहुंच जाता है। जांच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा विचाराधीन उत्पाद का निर्यात यह भी दर्शाता है कि याचिकाकर्ता को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी उच्च उत्पादन लागत की तुलना में बहुत कम कीमत ही मिलती है।

xiv. अत:, याचिकाकर्ता को होने वाली क्षति संबद्ध आयात के कारण नहीं है, बल्कि याचिकाकर्ता द्वारा विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए अपनाई गई केवल अंतिम चरण रूपांतरण पद्धति के उपयोग के कारण स्वयं के कारण क्षति है। यह याचिकाकर्ता को डीएसएम समूह सहित विश्व में विचाराधीन उत्पाद के अन्य प्रमुख उत्पादकों की तुलना में अधिक क्षति में डालता है।

xv. लगाई गई पूंजी, निवल अचल परिसंपत्ति और कार्यशील पूंजी, मूल्यह्रास और बिक्री की लागत में वृद्धि पिछले वर्ष में परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और नई परिसंपत्तियों की खरीद, यदि कोई हो, दोनों के कारण है। कार्यशील पूंजी में वृद्धि या तो गलत है या भ्रामक है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता ने एनआईपी और संरचित सामान्य मूल्य में असामान्य रूप से वृद्धि की है।

i. विभाजन को “अधिग्रहण विधि” के आधार पर हिसाब में लिया गया है, जिसके द्वारा परिसंपत्तियों और देनदारियों को उनके उचित मूल्यों पर लेखा बहियों में दर्ज किया जाता है। यह व्यवस्था की योजना के खंड 21.2 से स्पष्ट है।

ii. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पीईएल की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ-24 में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि 5,368 करोड़ रुपये के फार्मा व्यवसाय के बही मूल्य का उचित मूल्यांकन 13,742 करोड़ रुपये रहा है और इसे पीईएल की बहियों में दर्ज किया गया है। उचित मूल्यों पर इस तरह के पुनर्मूल्यांकन के बाद फार्मा व्यवसाय की निवल परिसंपत्ति याचिकाकर्ता को हस्तांतरित हो गई।

iii. वे परिसंपत्तियां और देयताएं जो फार्मा व्यवसाय का हिस्सा थी, पीईएल की बहियों में उनके उचित मूल्यों के अनुसार पहले ही पुनर्मूल्यांकन कर दिया गया था और फार्मा व्यवसाय के विभाजन के अनुसार आईएनडीएएस-103 के अनुसार उनके उचित मूल्यों पर याचिकाकर्ता को हस्तांतरित कर दिए गए थे। पीईएल की वार्षिक रिपोर्टों से यह स्पष्ट है कि इस तरह के उचित मूल्यांकन के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों में 160% की वृद्धि हुई है।

iv. अचल परिसंपत्तियों और कार्यशील पूंजी के मूल्य में वृद्धि को परिसंपत्तियों के ऐसे पुनर्मूल्यांकन और याचिकाकर्ता की बहियों में परिसंपत्तियों को उनके उचित मूल्यों पर दर्ज करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

v. यह अनुरोध किया गया है कि कार्यशील पूंजी के उचित स्तरों पर विलय के कारण पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव के बिना विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, विलय के कारण अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। तदनुसार, लगाई गई पूंजी की गणना अचल परिसंपत्तियों और कार्यशील पूंजी दोनों के पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव के बिना की जाएगी।

vi जबकि याचिकाकर्ता की बहियों में कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं था, क्षति मापदंडों का मूल्यांकन करते समय और एनआईपी की गणना करते समय पीईएल की बहियों में पुनर्मूल्यांकन को बाहर रखा जाएगा।

vii. प्राधिकारी को पीईएल की बहियों में परिसंपत्तियों और देयताओं के पुनर्मूल्यांकन को अवश्य सत्यापित करना चाहिए। चूंकि परिसंपत्तियां पीईएल से याचिकाकर्ता को उचित मूल्य पर हस्तांतरित की जाती हैं, इसलिए फार्मा व्यवसाय की परिसंपत्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यांकन याचिकाकर्ता की पुस्तकों में बहियों में दृष्टिगत नहीं होगी। यह अनुरोध किया जाता है कि

प्राधिकारी को पीईएल से संगत अभिलेख मंगाकर उनका सत्यापन करना चाहिए।

xvi. घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि के कारण विचाराधीन उत्पाद के लिए विस्तारित बाजार की पूर्ति के लिए आयात में वृद्धि हुई है।

xvii. यह एक स्थापित कानून है कि क्षति का विश्लेषण करने के लिए केवल अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु की तुलना प्रासंगिक नहीं है। आंतरायिक प्रवृत्ति को समान रूप से देखा जाना चाहिए और आंतरायिक प्रवृत्ति पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने बाजार हिस्सेदारी हासिल की है, और आयात ने पिछले तीन वर्षों में बाजार हिस्सेदारी खो दी है, जिसमें जांच की अवधि भी शामिल है।

xviii. याचिकाकर्ता पर आयात का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि उत्पादन और बिक्री मापदंडों में सतत वृद्धि हुई है।

xix. कीमत में कटौती का कारण आयात का कम मूल्य नहीं है, बल्कि पीपीएल के निर्माण की उच्च लागत है।

xx. पीपीएल एक तरफ दावा करता है कि क्षमता उपयोग घरेलू बाजार की क्षमता से कम है और दूसरी तरफ उसने जांच की अवधि के दौरान खुद कुल क्षमता में वृद्धि की है। कोई भी विवेकशील व्यवसाय संगठन अपनी क्षमता तभी बढ़ाएगा जब वह अपने द्वारा निर्मित उत्पादों की मांग में और वृद्धि की उम्मीद कर रहा हो।

xxi. पीबीआईटी, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल जैसे वित्तीय प्रदर्शन संकेतकों में गिरावट का कारण आयात नहीं है, बल्कि विचाराधीन उत्पाद के निर्माण में पीपीएल द्वारा किए गए उच्च लागत के कारण है, जो बिक्री की लागत की बढ़ती प्रवृत्ति से स्पष्ट है।

xxii. याचिकाकर्ता ने अपनी संस्थापित क्षमता और कार्यबल में उल्लेखनीय वृद्धि की है, और इसके बावजूद, लाभप्रदता में गिरावट आई है, जो अकार्यक्षमताओं को दर्शाता है। याचिकाकर्ता ने सतत पुनर्गठन किया है, जिसने इसके लाभों को प्रभावित किया है। इसके अलावा, कम उपयोग, कच्चे माल के लिए आयात निर्भरता, कुप्रबंधन और खराब प्रबंधकीय निर्णयों सहित अपने ही कारण से लागत में वृद्धि जांच की अवधि में घाटे का कारण रही है।

xxiii. साल-दर-साल आधार पर मूल्यह्रास में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जिसने बिक्री की लागत बढ़ाने और इस प्रकार वित्तीय प्रदर्शन संकेतकों में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

xxiv. अनंतिम शुल्क लगाने के लिए पीपीएल द्वारा किया गया दावा अनुचित है, जबकि आयात के कारण याचिकाकर्ता को कोई क्षति नहीं हो रही है। साथ ही, यह नोट करना प्रासंगिक है कि क्षति की अवधि की तुलना में जांच की अवधि के दौरान आयातों की मात्रा में कमी आई है, यह तथ्य आगे इसका समर्थन करता है कि वर्तमान मामले में कोई अनंतिम शुल्क लगाया जाना अपेक्षित नहीं है, क्योंकि उक्त शुल्क का उद्देश्य जांच के दौरान होने वाली क्षति को रोकना है।

xxv. पीपीएल ने याचिका में वास्तविक क्षति के खतरे का दावा करने के लिए उठाए गए आधारों की पुष्टि नहीं की है। डीएसएम स्विट्जरलैंड के प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि पिछले 4 वर्षों में क्षमता स्थिर रही है और क्षमता का उपयोग भी बहुत अधिक है। इसके अलावा, डीएसएम समूह के पास निकट भविष्य में क्षमता का विस्तार करने की कोई योजना नहीं है। इसलिए, डीएसएम समूह द्वारा निर्यात के कारण क्षति का कोई खतरा नहीं है।

xxvi. यह देखे जाने योग्य है कि जांच की अवधि के दौरान आयात में क्षति अवधि की तुलना में गिरावट आई है। उक्त तथ्य इस बात की पुष्टि करता है कि पूर्वव्यापी आधार पर शुल्कों की सिफारिश करने के लिए अल्प अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर आयात की आवश्यकता वर्तमान मामले में पूरी नहीं हुई है।

xxvii. पिछली जांच के बारे में सूचना सार्वजनिक डोमेन में होने से आयात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के आयात में गिरावट आई है।

xxviii. यूरोपीय संघ से आयातों में बहुत अधिक गिरावट आई है, अर्थात वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 33,782 किलोग्राम से घटकर जांच की अवधि में 26,906 किलोग्राम हो गया है।

xxix. भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग में जांच की अवधि में तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 11% की वृद्धि हुई।

xxx. मात्रा प्रभाव के संबंध में, मांग में वृद्धि के बावजूद यूरोपीय संघ से आयातों में गिरावट आई है। याचिकाकर्ता केवल 65% मांग को पूरा कर सकता है, जिससे

चीन के बाजार हिस्से में 361% तक वृद्धि हुं, जबकि यूरोपीय संघ से आयातों के बाजार हिस्से में 40% तक गिरावट आई है। डीएसएम ग्रुप ने अनुरोध किया है कि संगत अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि हुई है, लेकिन घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की मांग में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, इसने अनुरोध किया कि वित्त वर्ष 2022-23 में मांग में वृद्धि की तुलना में आयात में वृद्धि कम रही थी।

xxxi. आवेदक की घरेलू बिक्री में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान 56% की वृद्धि हुई। आवेदक की प्रतिदिन उत्पादकता में तत्काल पूर्ववर्ती क्षति अवधि की तुलना में जांच अवधि के दौरान 74% की वृद्धि हुई। आवेदक की मालसूची में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान 43% की उल्लेखनीय गिरावट आई।

xxxii. याचिकाकर्ता के कीमत प्रभाव के दावे भ्रामक हैं। जांच अवधि में लागत में वृद्धि के कारण घाटा हुआ है, जिससे याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई कीमत क्षति वास्तव में लागत के कारण है।

xxxiii. जांच की अवधि में बिक्री में तत्काल पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है। क्षति की अवधि में उत्पादन में वृद्धि हुई। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी में वृद्धि हुई है।

xxxiv. क्षमता में वृद्धि के कारण मुख्य रूप से क्षमता उपयोग में कमी आई है। याचिकाकर्ता की आयात निर्भरता (कच्चे माल पर) के कारण क्षमता उपयोग औसत से कम हुआ है।

xxxv. पिछले 4 वर्षों में डीएसएम की क्षमता स्थिर रही है और क्षमता उपयोग भी बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त, डीएसएम समूह की निकट भविष्य में अपनी क्षमता का विस्तार करने की कोई योजना नहीं है।

xxxvi. आवेदक अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए व्यापार उपचार उपायों का दुरुपयोग कर रहा है। प्रारंभिक आवेदन वापस ले लिया गया था और आवेदक ने दावा किया कि वह हाल की अवधि के लिए पाटन और क्षति की पूरी सीमा तक उपयुक्त उपाय की मांग करते हुए नए सिरे से आवेदन दायर करने का इरादा रखता है क्योंकि चीन से मात्रा में काफी वृद्धि हुई है और कीमतें गिरना जारी है।

xxxvii. इसी तरह, एनएचयू समूह ने तर्क दिया है कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता अपने स्वयं के पुनर्गठन के प्रभावों को छिपाने के लिए पाटनरोधी उपायों को बढ़ा रहा है, जिसने उत्पादन या प्रचालन संबंधी कार्य-क्षमता को बाधित किया होगा।

xxxviii. इसके अलावा, बीएएसएफ समूह ने यह आरोप लगाया है कि पूर्व की जांच में आवेदक ने पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का दावा क्रमशः 100%-120% और 60%-80% के दायरे में किया था, जबकि वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का दावा क्रमशः 100%-120% और 80%-100% के दायरे में किया गया है।

xxxix. पूर्व की जांच और वर्तमान जांच में दावा किए गए पाटन और क्षति मार्जिन की तुलना से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आवेदन वापस लिए जाने का दावा किए जाने का कारण भ्रामक था।

xl. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे आवेदन वापस लेने के कारण का विश्लेषण करें।

xli. याचिकाकर्ता ने गलत क्षति आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में क्षति की पूरी अवधि के दौरान स्थिर क्षमता का दावा किया है। इसके विपरीत, आवेदक ने दावा किया है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में इसकी निवल अचल परिसंपत्ति में 135% की वृद्धि हुई है। आवेदक ने असामान्य रूप से उच्च एनआईपी का दावा करने के लिए परिसंपत्तियों के मूल्य के बारे में गलत सूचना दी है।

xlii. क्षति की पूरी अवधि के दौरान सतत क्षमता के बावजूद लगाई गई पूंजी में बहुत अधिक वृद्धि का कारण कॉर्पोरेट पुनर्गठन अर्थात पीईएल से आवेदक को परिसंपत्तियों का हस्तांतर के दौरान परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन (मूल्य में वृद्धि) है।

xliii. आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान घरेलू बिक्री में 54% (मूल्य की दृष्टि से) की वृद्धि हुई है, जबकि उसी अवधि के दौरान निर्यात बिक्री (मूल्य की दृष्टि से) में 18% तक वृद्धि हुई। हालांकि, इसी अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी में 139% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो *प्रथम दृष्टया* गलत और भ्रामक लगती है। इससे एनआईपी और सीएनवी में असामान्य रूप से वृद्धि होगी।

xliv. वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता की क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह अनुरोध किया जाता है कि क्षमता में तदनुरूपी

वृद्धि के बिना लगाई गई पूंजी में वृद्धि के कारण की प्राधिकारी द्वारा गहन जांच की जानी आवश्यक है।

xlv. पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट यह दर्शाती है कि इस तरह के उचित मूल्यांकन के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों में 160% की वृद्धि हुई।

xlvi. परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यह्रास और बिक्री की लागत में किसी भी वृद्धि के प्रभाव को पुनर्मूल्यांकन के कारण प्रभावित होने वाली क्षति के सभी मापदंडों से हटा ही दिया जाना चाहिए।

xlvii. विभाजन के कारण पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव के बिना कार्यशील पूंजी के उचित स्तरों पर विचार किया जाना चाहिए।

xlviii. प्राधिकारी को पीईएल की बहियों में परिसंपत्तियों और देयताओं के पुनर्मूल्यांकन का अवश्य सत्यापन करना चाहिए, क्योंकि परिसंपत्तियों का हस्तांतरण पीईएल से याचिकाकर्ता को उचित मूल्यों पर किया गया है।

xlix. प्राधिकारी को तथ्य का सत्यापन करना चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता को विचाराधीन उत्पाद का उपयोग करने वाले निचले स्तर के उत्पादों के लिए डीपीसीओ के तहत कीमतें निर्धारित करने के लिए इसे सक्षम बनाने के उद्देश्य से, डीपीसीओ को विचाराधीन उत्पाद की कीमत उपलबध कराना अपेक्षित था। याचिकाकर्ता की एनआईपी उस सीमा तक ऐसी कीमत तक सीमित होगी, जिस सीमा तक विचाराधीन उत्पाद का उपयोग डीपीसीओ के अंतर्गत आच्छादित उत्पादों के विनिर्माण में किया जाता है।

l. बीएएसएफ ने यह तर्क दिया कि जुलाई 2024 में जर्मनी में उसके संयंत्र में एक दुर्घटना हुई थी। यह भी स्वीकार किया गया है कि आवेदक ने बाजार का दोहन किया है (क्योंकि आपूर्ति की कमी है) और घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में वृद्धि की है - प्राधिकारी इसे सत्यापित करने के लिए आवेदक के बिक्री अभिलेखों की मांग कर सकता है। इसने आगे कहा है कि यह आपूर्ति के कई स्रोतों की आवश्यकता को दर्शाता है।

li. याचिकाकर्ता के पास टोकोफेरॉल के साथ स्थिर विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने की क्षमता नहीं है।

lii. प्राधिकारी को उद्योग द्वारा अर्जित आरओसीई को अपनाना चाहिए जब पाटन का कोई आरोप नहीं था (एक उचित लाभ मार्जिन के रूप में) और न कि 22% आरओसीई।

liii. बीएएसएफ समूह ने अनुरोध किया है कि प्रारंभिक जांच परिणाम विलंबित चरण, यानी 211 दिनों में जारी नहीं किए जा सकते।

liv इसने आगे तर्क दिया है कि पाटनरोधी शुल्क केवल उन मामलों में पूर्वव्यापी रूप से लगाया जा सकता है, जहां पाटन का इतिहास रहा हो या निर्यातक पाटन करता हो और क्षति अपेक्षाकृत कम समय में आयातित वस्तु की भारी मात्रा में पाटन के कारण हुई हो, जो समय और पाटित की गई आयातित वस्तु की मात्रा और अन्य परिस्थितियों के मद्देनजर लगाए जाने वाले पाटनरोधी शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव को गंभीर रूप से कमजोर कर सकता है। यह नोट किया जा सकता है कि इस वर्तमान मामले में, जांच की अवधि में यूरोपीय संघ से आयात में पिछले वर्ष की तुलना में भारी गिरावट आई है।

lv. ग्लोबल डब्ल्यूआईटीएस व्यापार सूचना प्रणाली के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा विचारित आयात आंकड़ें अपर्याप्त हैं। उक्त तीसरे पक्ष के स्रोत के आंकड़े संकेत देते कि जांच की अवधि के दौरान भारत द्वारा चीन से आयात की गई मात्रा 39.5 टन दर्ज की जानी चाहिए। हालांकि, याचिकाकर्ता 69 टन की आयात मात्रा का दावा करता है, जो हमारे आंकड़ों से लगभग 30 टन अधिक है। यह विसंगति याचिकाकर्ता के आंकड़ों की सटीकता और विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न उठाती है, खासकर यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने निजी स्रोतों से आयात आंकड़ों पर विश्वास किया।

lvi. याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए गलत आंकड़े आयात आंकड़ों और याचिकाकर्ता के उत्पादन या बाजार की मांग से संबंधित अनुपातों की विश्वसनीयता को कम करते हैं। याचिकाकर्ता ने स्थानीय बिक्री की संख्या पर आंकड़े प्रदान नहीं किए है, जिससे हमारे लिए यह सटीक रूप से आकलन करना असंभव हो जाता है कि उसके बाजार हिस्से में गिरावट वास्तविक और उचित है या नहीं।

lvii. यह आंकड़ा दर्शाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा आयातित कच्चे माल की कीमत में कमी आई है जबकि बिक्री की मात्रा में वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि संबंधित उत्पाद की बिक्री से याचिकाकर्ता के लाभ में गिरावट नहीं होनी चाहिए।

lviii. एनएचयू समूह ने आगे तर्क दिया है कि पिछले तीन वर्षों में याचिकाकर्ता की उत्पादन क्षमता की प्रवृत्ति उल्लेखनीय रूप से स्थिर रही है। जांच अवधि के दौरान देखी गई उत्पादन मात्रा में कमी को निश्चित रूप से संबंधित उत्पादों के आयात से नहीं जोड़ा जा सकता है। इसके बजाय, इस गिरावट को कंपनी की अपनी अधिग्रहण और विलय योजनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसके कारण उत्पादन रणनीतियों में समायोजन हो सकता है, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर लिखित अनुरोधों के पैरा 15-17 में उल्लेख किया गया है।

lix. इसके अलावा, बाहरी कारक जैसे स्थानीय प्रतिकूल मौसम की स्थिति, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोधों के पैरा 77 में संदर्भित जांच अवधि के दौरान बाढ़ शामिल है, ने उत्पादन में कमी में और योगदान किया होगा।

lx. इसके अतिरिक्त, यह कथन कि आयात से आक्रामक मूल्य निर्धारण के कारण लाभ मार्जिन में गिरावट आई है, अनुचित है।

lxi. यह आंकड़ा दर्शाता है कि हाल के वर्षों में भारतीय आयात की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन यह गिरावट विशेष रूप से बड़ी नहीं है। इसके अतिरिक्त, जब हम पिरामल के आयातित कच्चे माल की कीमतों की तुलना करते हैं, तो हम आवेदक द्वारा बेचे जाने वाले अंतिम उत्पादों की कीमतों में अपेक्षाकृत मामूली कमी के विपरीत, लगभग आधे से अधिक महत्वपूर्ण गिरावट देखते हैं।

lxii. इस असमानता को देखते हुए, यह दावा कि आयात से आक्रामक मूल्य निर्धारण के कारण लाभ मार्जिन में गिरावट आई है, अनुचित है। कच्चे माल की कीमतों में भारी गिरावट से आवेदक की लाभप्रदता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए था, जो वित्तीय प्रदर्शन संकेतकों में गिरावट के दावों का खंडन करता है।

## छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

44. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के साथ-साथ पूर्वव्यापी आधार पर अनंतिम शुल्क की आवश्यकता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने 17 जून, 2024 और 12 जुलाई, 2024 को प्रस्तुत अपने आवेदन और संप्रेषण में अनुरोध किया है कि चीन जन.गण., यूरोपीय संघ और स्विटजरलैंड से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के कारण उसे बढ़ी हुई और सतत क्षति हो रही है। इसे देखते हुए, 31 अक्टूबर, 2022 को घरेलू उद्योग ने माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें संबद्ध देशों से विचाराधीन

उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की मांग की गई। इसके *प्रथम दृष्टया* आकलन और उपलब्ध कराई गई सूचना से संतुष्ट होने पर, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 29 दिसंबर, 2022 ("पूर्व जांच") को पाटनरोधी जांच शुरू की।

ii. हालांकि, उक्त जांच के लंबित रहने के दौरान, चीन जन.गण. से आयात की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हुई और कीमतों में गिरावट जारी रही। इसने, अन्य देशों से लगातार पाटन के साथ मिलकर, घरेलू उद्योग को संचयी रूप से और अधिक गंभीर रूप से क्षति पहुंचाई है।

iii. जांच की अधिक हालिया अवधि **("पीओआई")** अर्थात अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के लिए पाटन और क्षति की पूरी सीमा तक उपयुक्त उपाय की मांग करने के लिए, घरेलू उद्योग ने 17 जनवरी, 2024 को पिछली पूर्व जांच को समाप्त करने का अनुरोध किया। इसके बाद, 31 जनवरी, 2024 को घरेलू उद्योग ने पाटन और क्षति की पूरी सीमा के विरुद्ध उपयुक्त उपाय की मांग करने के लिए एक नई याचिका दायर की। इस बीच, 9 फरवरी, 2024 को, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 17 जनवरी, 2024 के घरेलू उद्योग के अनुरोध के आधार पर एक समाप्त करने संबंधी नोटिस जारी किया। इसके बाद, 31 जनवरी, 2024 के आवेदन में अभिलेखों में मौजूद साक्ष्य से *प्रथम दृष्टया* संतुष्ट होने पर, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संबद्ध जांच शुरू की।

iv. काफी पाटन हुआ है। घरेलू उद्योग को क्षति अवधि में पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

v. क्षति विश्लेषण संचयी आधार पर किया जाता है, और इसलिए प्रत्येक संबद्ध देश से अलग-अलग आयात/बाजार हिस्सेदारी के संबंध में उपर्युक्त उत्पादकों के तर्कों को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

vi. क्षति अवधि में संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता के उत्पादन और मांग के संबंध में संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है। विदेशी निर्यातकों और/या विचाराधीन उत्पाद के आयातकों द्वारा सस्ती कीमतों की पेशकश के कारण याचिकाकर्ता को भारत में कई ग्राहकों से ऑर्डरों का नुकसान भी हुआ है।

vii. नोसिल लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा सही माने गए अनुसार पाटनरोधी जांच में मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर असंगत है।

viii. संबद्ध देशों से आयात याचिकाकर्ता के घरेलू बिक्री कीमत से कम कीमतों पर होता है, इस प्रकार, बिक्री कीमत में भारी कटौती होती है और याचिकाकर्ता को नुकसान होता है। इन घटती कीमतों के कारण नुकसान में वृद्धि हुई, जो सीधे तौर पर संबद्ध देशों से कम कीमत वाले आयातों के कारण है।

ix. याचिकाकर्ता को जांच की अवधि सहित अधिकांश क्षति अवधि में मूल्यह्रास के कारण क्षति का सामना करना पड़ रहा है।

x. यह एक स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि वास्तविक क्षति की मौजूदगी के लिए प्रत्येक आर्थिक पैरामीटर के संबंध में नकारात्मक प्रवृत्तियों की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए, यह तथ्य कि कुछ क्षति पैरामीटर नकारात्मक प्रवृत्ति नहीं दर्शा सकते हैं, का वास्तव में वास्तविक क्षति के नहीं होने का आशय है।

xi. बिक्री और उत्पादन याचिकाकर्ता की क्षमता से बहुत कम है, क्योंकि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण बहुत अधिक क्षमताएं निष्क्रिय रह जाती हैं।

xii. यह नोट करना प्रासंगिक है कि उत्पादकता में वृद्धि का अर्थ है कि याचिकाकर्ता को हुई क्षति की अकार्यक्षमताओं के कारण स्वयं के कारण हुई क्षति के रूप में नहीं माना जा सकता है। ऐसा कहकर, याचिकाकर्ता की उत्पादकता और कार्य-क्षमता के बावजूद, याचिकाकर्ता को पाटित किए गए और क्षतिकारक आयातों के कारण क्षति हो रही है। कर्मचारियों की संख्या क्षमता से बहुत कम रही।

xiii. पाटित आयातों के कारण क्षमता उपयोग में कमी आई है। इसके अलावा, क्षमता उपयोग घरेलू उद्योग की क्षमता से काफी कम है। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद के संबंध में याचिकाकर्ता के प्रचालनों में कोई बाधाएं (जैसे कच्चे माल की कमी) नहीं थी, जिससे कच्चे माल पर आयात निर्भरता का याचिकाकर्ता के क्षमता उपयोग से कोई संबंध नहीं है।

xiv. याचिकाकर्ता यह स्पष्ट करना चाहता है कि एनएफए और कार्यशील पूंजी रिपोर्ट उत्पादन मूल्य पर किए गए विचाराधीन उत्पाद के लिए आबंटन का आधार है।

इसलिए, रिपोर्टिंग में कोई असामान्यता या इन आंकड़ों की बढ़ती प्रवृत्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त, पुनर्मूल्यांकन या विभाजन के कारण क्षति अवधि में निवल अचल परिसंपत्तियों, कार्यशील पूंजी या मूल्यह्रास से संबंधित दावा किए गए आंकड़ों में से कोई भी प्रभावित नहीं हुआ है।

xv. घरेलू उद्योग ने पूरी क्षति अवधि के दौरान पीबीआईटी और नकद लाभ, दोनों के संदर्भ में घाटा उठाया है। पीबीआईटी के संदर्भ में घाटा आधार वर्ष में (100) से बढ़कर जांच की अवधि में (196) हो गया। इसके अतिरिक्त, नकद घाटा आधार वर्ष में (100) से बढ़कर जांच की अवधि में (195) हो गया।

xvi. घरेलू उद्योग को हो रही वास्तविक क्षति के अलावा, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा भी है।

xvii. उपर्युक्त को देखते हुए, संबद्ध जांच में अनंतिम शुल्कों की सिफारिश आवश्यक है। वास्तव में, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने हाल ही में प्रारंभिक जांच परिणामों में अनंतिम शुल्कों की सिफारिश की है, जिसमें घरेलू उद्योगों को उन संबंधित जांचों में हुई नकद हानि वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग की हानि जितनी गंभीर नहीं थी। इस प्रकार, यह अंतरिम शुल्कों के लिए एक उपयुक्त मामला है।

xviii. वर्तमान जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 20 (2) के तहत पूर्वव्यापी आधार पर शुल्क लगाने की भी आवश्यकता है।

## छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

45. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में, *"... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए"* घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने में, यह जांच करना आवश्यक माना जाता है कि क्या भारत वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का काफी मात्रा में ह्रास करना अथवा कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता,

निवल बिक्री वसूली, पाटन आदि की मात्रा और मार्जिन पर नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

46. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रतितर्कों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर ध्यान देता है।

**<u>क्षति का संचयी आकलन</u>**

47. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.3 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि जहां एक से अधिक देश से उत्पाद के आयात पाटनरोधी जांचों के अध्यधीन साथ-साथ रखे जा रहे हों, वहां प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन संचयी रूप से करेंगे, यदि वह निर्धारित करता है किः

i. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन 2 प्रतिशत से अधिक निर्यात की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात के 3 प्रतिशत (अथवा उसे अधिक) है अथवा जहां अलग-अलग देशों का निर्यात 3 प्रतिशत से कम है, आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात के 7 प्रतिशत से अधिक होता है, और

ii. आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्द्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है।

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयात की मात्रा और पाटन मार्जिन दोनों ही पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक हैं।

49. यह पता लगाने के लिए कि आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में आयात के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है या नहीं, निम्नलिखित मापदंडों की जांच की गई है:

i. विभिन्न पक्षकारों द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद समान वस्तुएं हैं तथा गुणों में तुलनीय हैं।

ii. उपभोक्ता आयातित उत्पादों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं।

iii. आयात के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से आयात न केवल उनमें से प्रत्येक द्वारा पेश की गई समान वस्तुओं के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश की गई समान वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

50. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी चीन, स्विट्जरलैंड और यूरोपीय संघ से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के घरेलू उद्योग पर प्रभाव का संचयी आकलन करना उपयुक्त समझते हैं।

51. इस कथन के संबंध में कि जाँच अवधि(पीओआई) और पिछले वर्ष में ओवरलैप होने से इन अवधियों के बीच कोई भी तुलना भ्रामक और गलत हो जाती है, यह सर्वविदित है कि जाँच अवधि और पिछले वर्ष के बीच ओवरलैप हो सकता है। घरेलू उद्योग ने व्यापार नोटिस संख्या 02/2004 में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप जाँच अवधि और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए प्राधिकारी को डेटा उपलब्ध कराया है।

52. इसके अतिरिक्त, अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि "जर्मनी में 29 जुलाई, 2024 को उनके संयंत्र में हुई दुर्घटना के परिणामस्वरूप, आवेदक ने बाजार का दोहन किया है (क्योंकि आपूर्ति की कमी थी) और घरेलू बाजार में पीयूसी की कीमतों में वृद्धि की - और प्राधिकारी इसे सत्यापित करने के लिए आवेदक की बिक्री रिकॉर्ड मांग सकता है", प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों में पीओआई अवधि के बाद की अवधि में मात्रा प्रभाव, मूल्य प्रभाव या आर्थिक मापदंडों पर प्रभाव का आकलन करना उचित नहीं समझता है।

53. जहां तक क्षति और कारणात्मक संबंध का संबंध है, प्राधिकारी ने नीचे पैराग्राफों में घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की है।

**छ.3.1 मांग / स्पष्ट खपत का आकलन**

54. प्राधिकारी ने, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, भारत में संबंधित उत्पाद की मांग या स्पष्ट उपभोग को घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री तथा सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित मांग का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

| विवरण | इकाई | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | पीओआई |
|---|---|---|---|---|---|
| आवेदक की बिक्री | केजीएस | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 94 | 122 | 156 |
| संबद्ध आयात | केजीएस | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 209 | 248 | 227 |
| अन्य आयात | केजीएस | - | - | - | - |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | - | - | - | - |
| मांग | केजीएस | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 147 | 180 | 189 |

55. यह नोट किया गया है कि जांच अवधि में कुल मांग पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ी है।

**छ.3.2 संबद्ध देशों से आयात का मात्रा प्रभाव**

56. आयात की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक होता है कि क्या पाटित आयातों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, चाहे वह निरपेक्ष रूप से हो या भारत में उत्पादन या उपभोग के सापेक्ष हो। क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम से प्राप्त किए गए लेन-देन-वार आयात डेटा पर भरोसा किया है।

**क). आयात में पूर्ण वृद्धि**

57. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा तथा घरेलू उद्योग के उत्पादन और संबद्ध वस्तुओं की मांग का विवरण निम्नानुसार है:

| विवरण | इकाई | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | पीओआई |
|---|---|---|---|---|---|
| संबद्ध आयात | केजीएस | 39,581 | 82,783 | 98,060 | 89,717 |
| चीन | केजीएस | 7,480 | 9,000 | 33,505 | 39,500 |
| यूरोपीय संघ | केजीएस | 16,805 | 11,573 | 17,634 | 27,706 |
| स्विट्जरलैंड | केजीएस | 15,296 | 62,210 | 46,921 | 22,511 |
| अन्य देश | केजीएस | - | - | - | - |
| कुल आयात | केजीएस | 39,581 | 82,783 | 98,060 | 89,717 |
| उत्पादन | केजीएस | *** | *** | *** | *** |
| उत्पादन - प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 116 | 146 | 174 |

| संबद्ध आयात के संबंध में : | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल आयात | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| उत्पादन | % | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 181 | 170 | 131 |
| उपभोग | % | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 142 | 137 | 120 |

58. यह देखा गया है कि-

i. घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में संबद्ध देशों से आयात में आधार वर्ष से जांच अवधि में वृद्धि हुई है।

ii. उपभोग के संबंध में संबद्ध देशों से आयात में आधार वर्ष से जांच अवधि में वृद्धि हुई है।

iii. इसी अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात में भी समग्र रूप से वृद्धि हुई है। यह भी नोट किया गया है कि क्षति जांच अवधि के दौरान मांग में वृद्धि के साथ-साथ घरेलू उद्योग की बिक्री की तुलना में संबद्ध आयात में अधिक तेज गति से वृद्धि हुई है।

**छ.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव**

59. पाटनरोधी नियमों के अनुलग्नक II (ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित आयातों के कारण कीमतों में उल्लेखनीय कमी आई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को उल्लेखनीय सीमा तक कम करना या कीमतों में उल्लेखनीय सीमा तक वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा घटित हो सकती थी ।

**क) कीमत में कटौती**

60. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना आयातों की पहुंच कीमत से करते हुए मूल्य कटौती का निर्धारण किया गया है। यह देखा गया है कि जांच अवधि के दौरान मूल्य कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

| विवरण | इकाई | पीओआई |
|---|---|---|
| निवल बिक्री कीमत | ₹/कि.ग्रा | *** |
| पहूँच कीमत | ₹/ कि.ग्रा | *** |
| कीमत में कटौती | ₹/ कि.ग्रा | *** |
| कीमत में कटौती | % | *** |
| रेंज | रेंज | 10-20% |

61. यह नोट किया गया है कि जांच अवधि के दौरान, संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही थी। इसके अलावा, कीमतों में कटौती काफी अधिक थी।

**ख). कीमत ह्रास/न्यूनीकरण**

62. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों में गिरावट आ रही है और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को उल्लेखनीय सीमा तक कम करना है या मूल्य वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की जांच निम्नानुसार की है।

| विवरण | इकाई | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | पीओआई |
|---|---|---|---|---|---|
| बिक्री | ₹/कि.ग्रा | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 123 | 122 | 119 |
| बिक्री मूल्य | ₹/ कि.ग्रा | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 108 | 102 | 98 |
| पहूँच कीमत | ₹/ कि.ग्रा | 6,102 | 5,863 | 5,390 | 5,230 |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 96 | 88 | 86 |

63. यह नोट किया गया है कि आधार वर्ष को छोड़कर, जांच अवधि सहित क्षति अवधि में आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से कम था।

64. आयात की कीमतें भी कम हुई हैं और क्षति अवधि (आधार वर्ष को छोड़कर) में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से काफी कम थीं। इसने घरेलू उद्योग को लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतों को बढ़ाने से रोका। इसलिए, यह नोट किया गया है कि आयात ने मूल्य वृद्धि को रोका है, जो अन्यथा बढ़ गई होती

**छ.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड**

65. पाटन-रोधी नियमों के अनुलग्नक II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की एक वस्तुपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियम आगे प्रावधान करते हैं कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर लाभ या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, इन्वेंट्री, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल है । घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है।

**i) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा**

66. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन निम्नानुसार रहा:

| **विवरण** | **इकाई** | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | **पीओआई** |
|---|---|---|---|---|---|
| संस्थापित क्षमता - पीयूसी + एनपीयूसी | केजीएस | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 100 | 100 | 128 |
| उत्पादन- पीयूसी + एनपीयूसी | केजीएस | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 94 | 92 | 78 |
| क्षमता उपयोग - पीयूसी + एनपीयूसी | % | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 94 | 92 | 61 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| उत्पादन - पीयूसी | केजीएस | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 116 | 146 | 174 |
| घरेलू बिक्री - पीयूसी | केजीएस | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 94 | 122 | 156 |
| निर्यात बिक्री - पी.यू.सी. | केजीएस | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 73 | 86 | 158 |

67. प्राधिकारी नोट करते है कि:-

i. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि ऊपर दी गई तालिका में दर्शाई गई क्षमता का उपयोग पीयूसी और गैर-पीयूसी दोनों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है।

ii. क्षति अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में कमी आई है।

iii. घरेलू बिक्री और उत्पादन के संबंध में, इसमें वृद्धि हुई है। यद्यपि, यह मांग, आयात और याचिकाकर्ता की क्षमता की वृद्धि से काफी कम है।

**ii) बाजार हिस्सेदारी**

68. घरेलू उद्योग और आयातों की बाजार हिस्सेदारी की जांच नीचे दी गई तालिका में की गई है:

| बाजार हिस्सेदारी | इकाई | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | पीओआई |
|---|---|---|---|---|---|
| घरेलू उद्योग | % | *** | *** | *** | *** |
| घरेलू उद्योग | %-सूचीबद्ध | 100 | 64 | 68 | 83 |
| संबद्ध आयात | % | *** | *** | *** | *** |
| संबद्ध आयात | %-सूचीबद्ध | 100 | 142 | 137 | 120 |
| अन्य आयात | %-सूचीबद्ध | - | - | - | - |

69. प्राधिकारी नोट करते है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक होने तथा क्षमतावान होने के बावजूद, भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी केवल ***% है। संबद्ध देशों से आयातों ने पूरी क्षति अवधि के दौरान भारतीय बाजार पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा है, जिसकी जांच अवधि के दौरान हिस्सेदारी ***% रही।

**iii) मालसूची**

70. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

| बाजार हिस्सेदारी | इकाई | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | पीओआई |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रारंभिक मालसूची | केजीएस | *** | *** | *** | *** |
| अंतिम मालसूची | केजीएस | *** | *** | *** | *** |
| औसत मालसूची | केजीएस | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 98 | 287 | 57 |

71. यह नोट किया गया है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में औसत इन्वेंटरी में कमी आई है।

**iv) लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय**

72. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

| विवरण | इकाई | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | पीओआई |
|---|---|---|---|---|---|
| बिक्री लागत (घरेलू) | ₹/केजीएस | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 123 | 122 | 119 |
| विक्रय मूल्य | ₹/ केजीएस | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 108 | 102 | 98 |
| लाभ/(हानि) | ₹/ केजीएस | *** | (***) | (***) | (***) |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | -278 | -390 | -408 |
| लाभ/(हानि) | ₹ Lacs | *** | (***) | (***) | (***) |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | -262 | -477 | -638 |
| नकद लाभ | ₹ लाख | *** | (***) | (***) | (***) |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | -151 | -299 | -402 |
| नकद लाभ | ₹/ केजीएस | *** | (***) | (***) | (***) |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | -161 | -244 | -257 |
| आरओसीई | % | *** | (***) | (***) | (***) |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | -281 | -264 | -263 |

73. यह नोट किया जाता है कि:

i. आधार वर्ष को छोड़कर, घरेलू उद्योग को संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घाटा हुआ है।

ii. विशेष रूप से, आधार वर्ष को छोड़कर आवेदक को जांच अवधि सहित क्षति अवधि के दौरान नकद घाटा के साथ-साथ नियोजित पूंजी पर नकारात्मक रिटर्न भी प्राप्त हुआ है।

74. अन्य इच्छुक पक्षों ने दावा किया है कि नियोजित पूंजी, निवल अचल परिसंपत्तियां और कार्यशील पूंजी, मूल्यह्रास और बिक्री लागत में वृद्धि परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और नई परिसंपत्तियों की खरीद, यदि कोई हो, के कारण हुई है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा सूचित आंकड़ों का सत्यापन किया है और इन निष्कर्षों में आकलित क्षति मापदंडों पर नियमों के अनुसार पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव को समाप्त कर दिया है।

75. इच्छुक पक्षों ने यह भी दावा किया है कि कार्यशील पूंजी में वृद्धि या तो गलत है या भ्रामक है, जिसके तहत याचिकाकर्ता ने एनआईपी और निर्मित सामान्य मूल्य में असामान्य रूप से वृद्धि की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता के ऑन-साइट सत्यापन और नियमों के अनुसार घरेलू उद्योग के दावे की जांच के अनुसरण में, प्राधिकारी ने नियमों के अनुसार पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार एनआईपी और सामान्य मूल्यों का निर्धारण पाटन-रोधी नियमों के तहत निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया गया है।

**v) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी**

76. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित सूचना की जांच की है, जिसका विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

| **विवरण** | **इकाई** | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | **पीओआई** |
|---|---|---|---|---|---|
| कर्मचारियों की संख्या | संख्या | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 108 | 112 | 112 |
| वेतन और मजदूरी | ₹ लाख | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 125 | 168 | 206 |
| प्रति दिन उत्पादकता | मीट्रिक टन/दिन | *** | *** | *** | *** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 116 | 146 | 174 |
| प्रति कर्मचारी उत्पादकता | मीट्रिक टन/संख्या | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 107 | 130 | 154 |

77. यह देखा जा सकता है कि:

i. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में प्रतिदिन उत्पादकता में वृद्धि हुई।

ii. अधिकांश क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या समान रेंज में रही।

i) **वृद्धि**

| विवरण | यूओएम | **2020-21** | **2021-22** | **2022-23** | पीओआई |
|---|---|---|---|---|---|
| बिक्री मूल्य | आईएनआर /केजीएस | *** | *** | *** | *** |
| | वाई/वाई | | *** | (***) | (***) |
| लाभ/(हानि) | आईएनआर /केजी | *** | (***) | (***) | (***) |
| | वाई/वाई | | (***) | (***) | (***) |
| बाजार हिस्सेदारी (%) | % | *** | *** | *** | *** |
| | वाई/वाई | | (***) | *** | *** |
| नकद लाभ(आईएनआर/केजी) | आईएनआर /केजी | *** | (***) | (***) | (***) |
| | वाई/वाई | | (***) | (***) | (***) |
| आरओआई | % | *** | (***) | (***) | (***) |
| | वाई/वाई | | (***) | *** | *** |

78. यह देखा गया है कि लाभ, बाजार हिस्सेदारी और आरओआई के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक या नगण्य बनी हुई है।

**vii) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव**

79. आवेदक ने अनुरोध किया  कि उसे भारी घाटा हुआ है और उसे नकारात्मक रिटर्न का सामना करना पड़ रहा है। क्षति अवधि में ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की आय (ईबीआईडीटीए) लगातार कम होती चली गई है और नकारात्मक बनी हुई है। आवेदक ने आगे कहा है कि नकारात्मक ईबीआईडीटीए से पता चलता है कि घरेलू उद्योग अपने वर्तमान दायित्वों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त आय नहीं कर रहा है और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

**viii) पाटन की मात्रा**

80. पाटन मार्जिन इस बात का संकेतक हो सकता है कि पाटित आयात से घरेलू उद्योग को किस हद तक नुकसान हो सकता है। पाटन मार्जिन सभी देशों के लिए सकारात्मक है

81. भौतिक क्षति के अलावा, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति का खतरा है। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से पीयूसी के आयात में  वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों के उत्पादकों द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए प्रश्नावली के उत्तरों के अनुसार, यह नोट किया गया है कि जिस दर से ऐसे उत्पादकों के निर्यात में वृद्धि हो रही है वह उनकी घरेलू बिक्री की तुलना में काफी अधिक है। घरेलू उद्योग ने कहा है कि यूरोपीय संघ के उत्पादक, बीएएसएफ ने विटामिन ए का उत्पादन करने के लिए अपनी क्षमता में ***% की वृद्धि की है। अंत में, संबद्ध देशों से पाटित और क्षतिपूर्ण आयातों के कारण कीमतों में भारी गिरावट आई है।

**ज. कारणात्मक संबंध और गैर-एट्रिब्यूशन विश्लेषण**

**ज.1 अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा अनुरोध**

82. विभिन्न इच्छुक पक्षों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. याचिकाकर्ता स्वभावत: अकुशल मशीनरी और उपकरणों का उपयोग कर रहा था और यह बात पिछले वर्षों की तुलना में जांच अवधि में एनपीयूसी के उत्पादन में गिरावट से स्पष्ट है।

ii. आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और कच्चे सामग्री की लागत में उतार-चढ़ाव क्षति का कारण है - और आवेदक ने स्वयं उल्लेख किया है कि कई सरकारों ने महामारी के दौरान विनिर्माण बिक्री के लिए आवश्यक दवा उत्पादों या इनपुट के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है। इच्छुक पक्षों ने यह भी उल्लेख किया है कि उच्च आयात

निर्भरता के कारण क्षमता उपयोग कम हुआ है, उच्च लागत और हानि हुआ है। इच्छुक पक्षों ने आगे उल्लेख किया है कि वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 में लॉकडाउन और उल्लेखनीय बाजार व्यवधानों का अनुभव हुआ, जिसने डेटा को और खराब कर दिया है।

iii. चूंकि पीपीएल ने स्वयं संबद्ध वस्तुओं के आपूर्तिकर्ताओं से विटामिन-ए एसीटेट का आयात किया है, इसलिए यह मानना उचित है कि संबद्ध वस्तुओं के ऐसे आपूर्तिकर्ताओं को आवेदक की तुलना में कुछ भौतिक लाभ होंगे, जिसे संबद्ध वस्तुओं की कथित पाटन के माध्यम से मूल्य भेदभाव के मामले के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

iv. याचिकाकर्ता को क्षति याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई विनिर्माण प्रक्रिया के कारण हुई है, अर्थात पीयूसी का उत्पादन बुनियादी चरण से न करके मध्यवर्ती चरण से किया गया है।

v. पीपीएल अपने द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं का उपयोग (***-***% की दर से) अपने अन्य डाउनस्ट्रीम उत्पादों में करता है, जिसमें हैदराबाद स्थित उसका संयंत्र भी शामिल है, जो एक ईओयू है, और क्षति के दावों की जांच संबद्ध वस्तुओं के अंतर-कंपनी अंतरण/कैप्टिव उपयोगों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि, यदि याचिकाकर्ता कैप्टिव उपभोग को प्राथमिकता देता है, तो पीयूसी की कमी और परिणामी प्रभाव विनाशकारी होगा।

vi. आवेदक की महत्वपूर्ण क्षमताएं जांच अवधि में निष्क्रिय रहती हैं। तदनुसार, यह स्पष्ट है कि आवेदक को अपने कुप्रबंधन और क्षमता से अधिक कार्य करने के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है।

**ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

83. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी हैं:

i. पी.यू.सी. सहित कई उत्पादों का उत्पादन डिग्वाल और महाड संयंत्रों में किया जाता है, और एन.पी.यू.सी. का उत्पादन उसकी मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है।

ii. जांच अवधि के दौरान, पीयूसी के संबंध में याचिकाकर्ता के प्रचालन पर ऐसी कोई बाधाएं (जैसे कच्चे माल की कमी, बिजली की कमी, कर, क्षमता/निवेश बाधाएं

आदि) नहीं थीं। पीपीएल एक अनुबंध के तहत सहमत कीमत पर बीएएसएफ से कच्चा माल विटामिन-ए एसीटेट प्राप्त करता है, जो क्षति अवधि से लागू है, और अब तक पीपीएल को कच्चे माल की आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, उच्च आयात निर्भरता के कारण पीयूसी के उत्पादन के लिए उच्च लागत या कम क्षमता के उपयोग का कोई प्रश्न ही नहीं है - कम क्षमता का उपयोग, जैसा कि यहां प्रासंगिक खंडों में विस्तार से बताया गया है, पाटित आयातों के कारण है। यह आश्चर्यजनक है कि बीएएसएफ कच्चे माल की आपूर्ति में व्यवधान का दावा कर रहा है, जबकि वह स्वयं पीपीएल को कच्चे माल आर्थात विटामिन-ए एसीटेट का एकमात्र आपूर्तिकर्ता है।

iii. यद्यपि संबद्ध देशों के उत्पादक बैकवर्ड एकीकृत हो सकते हैं, फिर भी तथ्य यह है कि वे भारत में पाटन में में लगे हुए हैं।

iv. पीपीएल को उसकी मौजूदगी के रूप में देखा जाना चाहिए (अर्थात, पीपीएल को पाटित आयातों के कारण क्षति हो रही है, भले ही वह बैकवर्ड एकीकरण में लगा हो या मध्यवर्ती चरण से पीयूसी का उत्पादन कर रहा हो) और इसलिए, अन्य पक्षों के उत्तर को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

v. पीयूसी की मांग के संबंध में याचिकाकर्ता ने कहा है कि इसमें वृद्धि हुई है। हालांकि, उत्पादन की क्षमता होने के बावजूद याचिकाकर्ता को मांग में वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाया है, जो कि संबद्ध देशों से पीयूसी के पाटित आयातों द्वारा पूरी तरह से समाहित हो गई है।

vi. पाटित आयातों के कारण क्षमता उपयोग में कमी आई है। विशेष रूप से, क्षमता उपयोग घरेलू उद्योग की क्षमता से बहुत कम है।

## ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

84. नियमों के अनुसार, प्राधिकारी को अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों के अतिरिक्त अन्य ज्ञात कारकों की भी जांच करनी होती है, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं, ताकि इन अन्य कारकों से होने वाली क्षति को पाटित आयातों के कारण न माना जाए।

85. **<u>तीसरे देशों से आयात की मात्रा और मूल्य</u>**: प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में गैर-संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं हुआ है।

86. **<u>मांग में संकुचन:</u>** यह देखा गया है कि पीयूसी की मांग बढ़ गई है। इसलिए मांग में संकुचन क्षति का स्रोत नहीं है।

87. **<u>उपभोग पैटर्न</u>**: यह नोट किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद की उपभोग पैटर्न में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

**88. <u>प्रतिस्पर्धा शर्तें और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं:</u>** प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिस्पर्धा शर्तें या व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं का कोई साक्ष्य नहीं है जो घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति के लिए जिम्मेदार हैं।

89. **<u>प्रौद्योगिकी का विकास:</u>** प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो। प्रौद्योगिकी अंतर के संबंध में किसी भी प्रस्तुति को इच्छुक पक्षों द्वारा उचित रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है।

**90. <u>उत्पादकता:</u>** प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। अतः, घरेलू उद्योग को इस कारण से कोई क्षति नहीं हुई है।

**91. <u>घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन</u>**: ऊपर जांची गई क्षति सूचना केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन से संबंधित है। इस प्रकार, हुई क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

**92. <u>अन्य उत्पादों का प्रदर्शन</u>**: प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के प्रदर्शन से संबंधित आंकड़ों पर ही विचार किया है। इसलिए, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का प्रदर्शन घरेलू उद्योग के लिए क्षति का संभावित कारण नहीं है।

**93. <u>विनिर्माण प्रक्रिया के कारण उच्च रूपांतरण लागत</u>**: इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई विनिर्माण प्रक्रिया के कारण हुई है, अर्थात् पीयूसी का उत्पादन बुनियादी चरण से न करके मध्यवर्ती चरण से किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को उसकी मौजूदगी के रूप में देखा जाना चाहिए, अर्थात् उसे क्षति हो रही है, भले ही वह उद्योग बैकवर्ड एकीकरण में लगा हो अथवा न हो।

94. *माननीय सीईएसटीएटी ने निप्पॉन जियोन कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में माना है कि "* [t] *घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति संबंधी प्रश्न का निर्णय आदर्श परिस्थितियों की कल्पना करके नहीं किया जा सकता, बल्कि उचित समायोजन करते हुए विद्यमान परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। "*[8]

95. अन्य इच्छुक पक्षों ने यह दावा किया है कि नियोजित पूंजी, निवल अचल परिसंपत्तियां और कार्यशील पूंजी, मूल्यह्रास और बिक्री लागत में वृद्धि परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और नई संपत्तियों की खरीद, यदि कोई हो, के कारण हुई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कार्यशील पूंजी में वृद्धि या तो गलत है या भ्रामक है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता ने एनआईपी और निर्मित सामान्य मूल्य में असामान्य रूप से वृद्धि की है और साथ ही, क्षति मापदंडों के मूल्यांकन में पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव को बाहर रखा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के ऑन-साइट सत्यापन के अनुसार मूल्यह्रास पर पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पुनर्मूल्यांकन ने कार्यशील पूंजी और एनएफए के दावा किए गए आंकड़ों को प्रभावित नहीं किया है। तदनुसार, घरेलू उद्योग के अन्य आर्थिक मापदंडों पर पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रभाव नहीं है। एनआईपी का निर्धारण पाटन-रोधी नियमों के तहत निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर भी किया गया है।

**झ. क्षति मार्जिन की मात्रा**

96. प्राधिकारी ने अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित किए गए सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया है। क्षतिरहित कीमत को घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्पादन की लागत से संबंधित जानकारी/आंकड़ों को अपनाने के द्वारा निर्धारित किया गया है। क्षतिरहित कीमत पर क्षति मार्जिन की संगणना करने के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, क्षति अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यूटिलिटीज के साथ भी समान उचार किया गया है। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन की लागत पर कोई असाधारण या अनावर्ती व्ययों को प्रभारित नहीं किया गया है। क्षतिरहित कीमत पर

[8] निप्पॉन ज़िऑन कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 1996 (88) ईएलटी 569 ट्राई डेल.

पहुंचने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित की गई औसत पूंजी पर (अर्थात औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियां तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय (कर पूर्व @22 प्रतिशत) को अनुमति दी गई थी। क्षति मार्जिन की संगणना करने के लिए इस प्रकार निर्धारित एनआईपी पर विचार किया गया है।

97. निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत को निर्धारित किया गया है। संबद्ध देशों से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत को निर्धारित किया है।

98. उपरोक्त अनुसार निर्धारित पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन को प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है और इसे सारणी में उपलब्ध कराया गया है।

**<u>क्षति मार्जिन</u>**

| **क्र.सं.** | **उत्पादक का नाम** | **एनआईपी (अमरीकी डॉलर/कि.ग्रा.)** | **पहुंच कीमत (अमरीकी डॉलर/कि.ग्रा.)** | **क्षति मार्जिन (अमरीकी डॉलर/कि.ग्रा.)** | **क्षति मार्जिन (%)** | **क्षति मार्जिन (रेंज%)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **क** | **चीन** | | | | | |
| 1 | शांगयु एनएचयू बायो-केम कंपनी लिमिटेड | *** | *** | *** | *** | 20-30% |
| 2 | अन्य | *** | *** | *** | *** | 35-45% |
| ख | **स्विटजरलैंड** | | | | | |
| 3 | डीएसएम न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड | *** | *** | *** | *** | 0-10% |
| 4 | अन्य | *** | *** | *** | *** | 5-15% |
| ग | **यूरोपीय संघ** | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | कोई भी उत्पादक | *** | *** | *** | *** | 15-25% |

## ञ. <u>भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे</u>

### ञ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

ii. शुल्क के लागू किए जाने से हमारी तथा उन डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं की लागत बढ़ेगी जो अपने खाद्य पदार्थों तथा पेय पदार्थों में विटामिन ए का प्रयोग करते हैं। वर्तमान विनियमों के तहत गैर-जरूरी होने के कारण चालव, दूध आदि का सुदृढ़ीकरण विटामिन ए के समग्र प्रयोग को प्रभावित करेगा जिस कारण खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में पोषण संबंधी विसंगतियां आ सकती हैं। अत:, किसी सशक्त एडीडी का प्री-मिक्स के डीएनपी भारतीय और डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं के प्रचालनों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।

iii. याचिकाकर्ता विटामिन ए का एसिटेट फार्म में आयात करते हैं और इसे केवल पामिटेट फर्मा में परिवर्तित करते हैं। डीएसएम समूह के विपरीत, याचिकाकर्ता आधारभूत स्तर से पीयूसी का उत्पादनकर्ता नहीं है, बल्कि केवल एक प्रोसेसर है जो विटामिन ए को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। भारतीय उद्योग पीयूसी के प्रोसेसर पर निर्भर नहीं कर सकता, विशेषकर ऐसे उत्पाद में जिसका पोषण उद्योग में विस्तृत अनुप्रयोग है।

iv. विटामिन ए पामिटेट का आयात पहले ही उस पर 10 प्रतिशत के समाज कल्याण प्रभार सहित 7.5 प्रतिशत का आधारभूत सीमा शुल्क भी झेल रहा है। वर्तमान आधारभूत सीमा शुल्क के ऊपर एडीडी को लागू करने से यह डीएनपी इंडिया की प्रतिस्पर्धात्मकता को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करेगा और पीयूसी बाजार को

प्रतिस्पर्धार विरोधी और स्वरूप से एकाधिकारवादी बना देगा क्योंकि बाजार याचिकाकर्ता पर निर्भर हो जाएगा, जोकि पीयूसी का केवल एक प्रोससर है।

v. यदि याचिकाकर्ता डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं की जरूरत की तुलना में कैप्टिव खपत को प्राथमिकता देता है तो पीयूसी की कमी और परिणामी प्रभाव आपत्तिजनक होंगे। यह संभावना उस स्थिति में और अधिक खराब हो जाएगी यदि एडीडी को लागू करने के कारण बाजार एकाधिकारवादी बन जाता है।

vi इसके अलावा, हम समझते हैं कि याचिकाकर्ता की दिगवाल इकाई एक निर्यातोन्मुखी इकाई (ईओयू) है जो पीयूसी/अन्य डाउनस्ट्रीम उत्पादों का निर्यात करती हे जो यह देखते हुए भारत में प्रयोक्ताओं को पीयूसी की उपलब्धता को भी बाधिक करेगी कि याचिकाकर्ता भारत में पीयूसी का एक मात्र प्रोसेसर है।

vii. डीएनपी इंडिया प्री-मिक्सस की बिक्रियों पर कोई लाभ अर्जित नहीं कर रहा है। पीयूसी की लागत में कोई भी वृद्धि प्री-मिक्स व्यापार का वित्तीय स्थिति को और अधिक खराब करेगी जिस कारण डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं की लागतों में वृद्धि होगी।

viii. भारत जेनेरिक फर्मास्युटिकल्स का सबसे बड़ा निर्यातक है। इन फर्मास्युटिकल्स उत्पादों में से बहुत उत्पादों में पीयूसी को एक इनपुट के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसी प्रकार के एडीडी को लागू किया जाना उनके उत्पादों को मंहगा बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उन्हें अप्रतिस्पर्धी बना देगा।

ix. याचिकाकर्ता पीयूसी का एक मात्र उत्पादक है और इसके पास पर्याप्त क्षमताएं हैं। शुल्क को लागू किए जाने से एक एकाधिकारवादी स्थिति सृजित होगी, साथ ही पीयूसी के लिए अभाव का निर्माण होगा जिसके जरिए वह कुल मिलाकर जनता के स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करेगा।

x. शुल्कों को लागू किए जाने के कारण पीयूसी की लागतों में कोई भी वृद्धि निरपवाद रूप से न केवल प्री-मिक्सस की समग्र लागतों को प्रभावित करेगी जिसका डीएसएम, इंडिया विनिर्माण करता है, बल्कि ऐसे उत्पादों की कीमतों में भी वृद्धि करेगी जिनका प्री-मिक्सस के अंतिम प्रयोक्ताओं द्वारा विनिर्माण किया जाता है। प्री-

मिक्सस की लागत में कोइ भी वृद्धि उपयोगकर्ताओं को खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों के स्वैच्छिक सुदृढ़ीकरण से दूर कर देगी और जिसके द्वारा सामान्य जतना की पोषण संबंधी जरूरतों को प्रभावित करेगी।

xi. पीयूसी का प्रयोग फर्मास्युटिकल्स, सौंदर्य प्रसाधनों, स्वास्थ्य सप्लीमेंट्स और व्यक्तिगत देखभाल खंडों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है और शुल्कों को लगाने से वह इन खंडों में कार्य करने वाले निर्माताओं को अप्रतिस्पर्धी बना देंगे अथवा उन्हें हानियां उठाने के लिए मजबूर कर सकते हैं।

xii. पीयूसी का इनपुट के रूप में प्रयोग करने वाले कुछ उत्पाद डीपीसीओ के अधीन हैं और शुल्क को लागू किया जाना डाउनस्ट्रीम उद्योग को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा, क्योंकि वे तदनुरूपी रूप से कीमतों में वृद्धि करने की स्थिति में नहीं होंगे।

xiii. प्राधिकारी को पीयूसी पर शुल्कों के देशव्यापी प्रभावों को ध्यान में रखना चाहिए।

xiv. एनएचयू समूह ने दावा किया है कि पाटनरोधी उपायों को लागू किया जाना भारत में सार्वजनिक हित को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा। याचिकाकर्ता का अभिव्यथन कि मध्यवर्ती उत्पादों के लिए लागत में वृद्धि 0.5 प्रतिशत से कम होगी जो बाजार की गतिशीलता की जटिलताओं को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करती। वास्तविकता में, प्रश्नावधीन उत्पाद पर 10 प्रतिशत के अतिरिक्त शुल्क से परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिशत की तुलना में डाउनस्ट्रीम उत्पादों के लिए लागतों में अधिक महत्वपूर्ण वृद्धि होने की संभावना है।

**ञ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

99. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. पीयूसी का विभिन्न क्षेत्रों, जिनमें खाद्य पदार्थ, कास्मेटिक और फर्मास्युटिकल्स उद्योग शामिल हैं, के अंतर्गत आने वाले मध्यवर्ती उत्पादों की व्यापक किस्मों में प्रयोग किया जाता है।

ii. यह अनुरोध किया जाता है कि पीयूसी का योगदान मध्यवर्ती उत्पादों में उपभोक्ता क्षेत्र के आधार पर भिन्न-भिन्न है।

iii. पीयूसी को उत्पादित करने की क्षमता और क्षति अवधि में निम्न क्षमता उपयोग पाटित आयातों के कारण है।

iv. यदि पीपीएल - पीयूसी का एक मात्र उत्पादक है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि पीपीएल का अभिप्राय एकाधिकार निर्मित करने का है अथवा वह ऐसा ही करेगा। यह कल्पना करना भी कि एकाधिकार की स्थिति विद्यमान है, भारतीय प्रतिस्पर्धा कानूनों के तहत कोई चिंता की बात नहीं है जब तक कि एकाधिकार का दुरुपयोग न किया जाए, जिसमें पीलीएल संलग्न नहीं है। कहते हैं कि पीपीएल को पाटनरोधी शुल्क की मांग करने से नहीं रोका गया है। याचिकाकर्ता प्रस्तुत करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन पाटन की अनुचित व्यापार पद्धति के विपरीत प्रभावों को बे-अहसर करना है। पीयूसी के आयातों को पाटनरोधी शुल्कों के जरिए प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। इसकी अपेक्षा याचिकाकर्ता और आयात एक समान स्तर पर व्यापार में प्रतिस्पर्धा करेंगे।

v. याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर पीयूसी पर पाटनरोधी शुल्क को लागू किया जाना डाउनस्ट्रीम उत्पाद की लागत और तैयार उत्पाद की लागतों और कीमतों को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित नहीं करेगा। पीयूसी पर लगभग *** प्रतिशत शुल्कों को लागू किए जाने से तैयार उत्पाद अथवा प्री-मिक्स की लागत पर *** प्रतिशत से कम प्रभाव डालेगा।

vi पीयूसी पर पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने का तैयार उत्पादों कल लागतों पर केवल न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। वे कहते हैं कि ग्राहक तैयार उत्पादों (पीयूसी का प्रयोग करते हुए उत्पादित किया गया) की आरएक्स (प्रिस्क्रिप्शन - आधारित) रूट अथवा ओटीसी / एफसीएसएआई / न्यूट्रास्युटिकल रूट के अंतर्गत बिक्री करता है। ओटीसी / एफएसएसएआई । न्यूट्रास्युटिकल रूटों के तहत बेचे जाने वाले तैया उत्पादों पर कोई मूल्य सीमा नहीं लगाई जानी

चाहिए, जबकि आरएक्स रूट के बतहत बेचे जाने वाले उतपाद पर मूल्य सीमा लागू की जानी चाहिए। पीपीएल की बाजार आसूचना के अनुसार, डीपीसीओ के तहत बेचे जाने वाले तैयार उत्पाद बहुत महत्वपूर्ण हैं।

vii. रिकार्ड पर कोई प्रियोक्ता (एक संबंधित आयातक सह प्रयोक्ता के अतिरिक्त अर्थात डीएसएम) दर्ज नहीं है।

**ञ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग पर थोपी गई क्षति का परिशोधन करना है, जिसके द्वारा भारतीय बाजार में एक खुली और न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा के वातावरण का पोषण करना है। पाटनरोधी उपायों को लागू किया जाना संबद्ध दिशों से मनमाने ढंग से आयातों में कटौती करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। इसके बजाय, यह समान स्तर पर व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है। प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों की दृढ़ता भारत में उत्पाद के कीमत स्तरों को प्रभावित कर सकती है। तथापि, यह नोट करना महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की भावना इन उपायों को जारी रखने के द्वारा अप्रभावित बनी रहेगी। ह्रासमान प्रतिस्पर्धा से दूर, पाटनरोधी उपायों को लागू किया जाना पाटन के अभ्यासों के जरिए अनुचित लाभों को प्रोद्भूत किए जाने से रोकेगा। यह ग्राहक के संबद्ध वस्तुओं के विस्तृत चयन की रक्षा करता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क एक बाधा नहीं है, बल्कि उचित व्यापार पद्धति के सुगमकर्ता है।

101. प्राधिकारी ने आयातों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से उनके मतों को आमंत्रित करते हुए, जांच शुरूआत अधिसूचना जारी की। एक आर्थिक हित प्रश्नावली भी घरेलू उद्योग, उत्पादकों / निर्यातकों और आयातकों / प्रयोक्ताओं / उपभोक्ताओं सहित विभिन्न स्टेकधारकों को वर्तमान जांच के संबंध में, उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के पड़ने वाले संभावित प्रभाव सहित, संगत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु निर्धारित की गई। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के कोई भी प्रयोक्ता प्राधिकारी के समक्ष प्रतिभागिता करने के लिए आगे नहीं आए है

अथवा आर्थिक हित प्रश्नावली के लिए उत्तर प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, किसी भी पक्षकार ने प्रवृत्त शुल्कों के विपरीत प्रभाव को इंगित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। डीएनपी इंडिया अर्थात डीएनपी, एजी का संबंधित आयातक, के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने एक आर्थिक हित प्रश्नावली दायर की है, जिसमें इसने अपनी लागतों पर शुल्कों के प्रभाव के बारे में बताया है। घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए एक विस्तृत संगणना प्रस्तुत की है कि पाटनरोधी शुल्क को लागू करने से तैयार उत्पाद अर्थात प्री-मिक्स की लागतों सहित प्रयोक्ता उद्योग पर एक नगण्य प्रभाव (*** प्रतिशत शुल्क पर *** प्रतिशत के तहत) पड़ेगा।

## ट. प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियां

### ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

102. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. प्राधिकारी से पीयूसी का उत्पादन करने के लिए विटामिन ए एसिटेट से वास्तविक मूल्यवर्धन पर विशिष्ट जांच परिणाम उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, क्योंकि आवेदक ने लगभग 40 प्रतिशत मूल्यवर्धन के बारे में बात की है।

ii. के. सेवंती लाल ने अनुरोध किया है कि एक दिन के विलंब को माफ किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अनजाने में और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा को नोट करने में निर्णय की त्रुटि के कारण घटित हुआ है।

iii. प्रकटीकरण विवरण के पैराग्राफ 71 पर कर पूर्व लाभ की सूचकांक प्रवृत्ति दर्शाता है कि यह 2021-22 में (278) से बढ़ कर (408) हो गया जो कि एक तीव्र गिरावट है। तथापि, समान अवधि में नियोजित पूंजी पर आय में (281) से (269) पर 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह कर पूर्व लाभ और नियोजित पूंजी पर आय की प्रवृत्ति में एक असर असमानता प्रतीत होती है ओर इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए।

iv. क्षति संबंधी मापदंड दर्शाते हैं कि दावा की गई क्षति केवल कीमत संबंधी पैरामीटरों में दावा की गई है ओर न कि रोजगार स्तर सहित मात्रा संबंधी पैरामीटरों के संबंध में ।

v. आवेदक की मार्जिन संबंधी चिंता कच्चे माल के लिए आयातों पर उनकी निर्भरता के कारण है जबकि निर्यातकों को कच्चे मामल के स्तर से ही एकीकृत होने का लाभ मिलता है। अत:, क्षति का कारण पीयूसी का कथित पाटन नहीं हो सकता। अक्षम व्यापार मॉडल संबद्ध देशों से कच्चे माल के आयातों पर निर्भर है।

vi प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया पाटन और क्षति मार्जिन अत्यधिक प्रतीत होता है। यदि ऐसी उच्च प्रतिशत को पाटनरोधी शुल्कों में परिवर्तित किया जाता है, तब प्रयोक्ता, हालांकि प्रयोक्ता प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं है, क्षति को झेलेंगे, जिस कारण संकट उत्पन्न होगा। इसलिए, शुल्क का एक संदर्भित रूप पर केवल तभी विचार किया जाएगा और वह उचित रूप से आवेदक द्वारा कच्चे माल की आपूर्ति में कमी को दूर करने में सहायता करेगा और प्रयोक्ताओं को शुल्क की एक निश्चित मात्रा की अदायगी करने की जरूरत नहीं होगी तब भी जब भारत में माल की आपूर्ति में कमी है।

vii. कीमतों और उनके विकास से संबंधित अनिवार्य आंकड़ों की अगोपनीय सारांश, सामान्य मूल्य की संगणना, प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई कथित पाटन संबंधी संगणनाएं अपर्याप्त है। प्राधिकारी ने सूचकांकों के रूप में सामान्य मूल्य तक उपलब्ध नहीं कराए हैं। इसके अलावा, उदाहरण के लिए इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है कि सूचकांक स्वरूप में आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में दिया जाना अथवा प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं था।

viii. आवेदक ने गोपनीयता का अत्यधिक प्रयोग किया है, इस प्रकार पक्षकारों को उनके स्वयं की रक्षा के अधिकार से वंचित रखा है। जांचकर्ता अधिकारी को

इस अनियमितता को सही करना चाहिए और पक्षकारों को विश्वास में उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीयत पाठ उपलब्ध कराना चाहिए।

ix. आवेदन और अगोपनीय विवरण में उपलब्ध कराया गया डेटा दर्शाता है कि संबंधित देशों से हुए कुल आयातों में कुल रूप में वृद्धि हुई प्रतीत होती है। हालांकि, इसका इस तथ्य के प्रकाश में विश्लेषण नहीं किया गया है कि 2020 के बाद से भारत में किसी अन्य देश से पीयूसी ने प्रवेश नहीं किया है और आवेदक बढ़ती हुई मांग का केवल 65 प्रतिशत ही पूरा कर पाता है। आवेदन की यथार्थता प्रश्नाधीन है क्योंकि आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए आयात आंकड़ों तथा प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में विसंगति है। आवेदक ने ईयू से आयातों की मात्रा को सकल रूप से 54 प्रतिशत तक और भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे कुल आयातों को 25 प्रतिशत तक अति प्राक्कलन किया है।

x. आवेदक और प्रकटीकरण विवरण 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक के दायरे में महत्वपूर्ण कीमत कटौती पर आरोप लगाते हैं। कोई अन्य सूचना, जैसे मूल के प्रत्येक देश से कीमत कटौती को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

xi. अन्य कारकों को पीओआई में आवेदक के लिए प्रतिकूल घटनाक्रमों के प्रभाव के लिए विश्लेषण किया जा सकता था, विशेषकर पीओआई में लागतों में वृद्धि के संबंध में।

xii. आवेदक ने पीयूसी के उत्पादन में वृद्धि की हे किंतु बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में असमर्थ रहा है। इसलिए, घरेलू मांग को पूरा करने में इस अक्षमता के परिणामस्वरूप अंतर को पूरा करने के लिए आयातों में वृद्धि हुई।

xiii. आवेदक लगातार अपने फार्मा व्यापार के प्रचालनों का पुन: निर्माण करता रहा है और संबंधित पुनर्निर्माण लागतों ने निवल आय को प्रभावित किया है जो लाभ में ऋणात्मक विकास को स्पष्ट करता है।

xiv. इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि क्या एस्टर एक एसिटेट है अथवा पामिटेट या प्रोपिपोनेट क्योंकि एसिटेट / पामिटेट को अंतत: छांट दिया जाता है और केवल विटामिन ए (रेटीनॉल) ही है जिसे शरीर अवशेषित करता है। एस्टर में कार्बन की श्रृंखला प्रमुख मोलीक्यूल रेटीनॉल की कार्यात्मकता में कोई परिवर्तन नहीं करती।

xv. विटामिन ए एसिटेट का इसके आधारभूत कच्चे माल से उत्पादन करने में मूलभूत घटकों से आरंभ करके एक जटित और प्रौद्योगिकी संचालित बीस कदम शामिल हैं। दूसरी ओर रेटिनॉल एसिटेट से रेटिनॉल पामिटेट में परिवर्तन सिर्फ विटामिन ए के एक स्वरूप (अथवा एस्टर) से ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन की साधारण प्रक्रिया के जरिए विटामिन ए के एक दूसरे के स्वरूप (अथवा एस्टर) में परिवर्तन किया जाना मात्र है जिसमें पीयूसी का निर्माण करते हुए पामिटेट एस्टर द्वारा रेटिनॉल के एसिटेट एस्टर को प्रतिस्थापित किया जाता है।

xvi. ***ओसवाल वूलेन मिल्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी*** (2000) 118 ईएलटी 275 के मामले में माननीय सेस्टेट ने निर्णय दिया है कि यदि उत्पाद आसानी से परिवर्तनीय है और ऐसा तथ्य निर्यातकों द्वारा भी मान्यता प्राप्त है तो उत्पाद ''समान उत्पाद'' है।

xvii. प्राधिकारी ने साक्ष्यों और उपलब्ध कराई गई सामग्री पर विचार करते हुए इसे पूरी तरह से उपेक्षित किया है कि अनुप्रयोगों में विटामिन ए पामिटेट के समान विटामिन एक एसिटेट का कोइ्र सीधा आयात अथवा प्रयोग नहीं होता है।

xviii. डीएसएम समूह एफएएसएफ इंडिया लिमिटेड और बहुत से अन्य शामिल हैं, किंतु डिविस लेबोरेटोरीज लिमिटेड, डीएसएम न्यूट्रीशनल प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटड, हेक्सामॉन न्यूट्रीशन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड आदि सहित भारत में बहुत से आयातकों द्वारा विटामिन ए एसिटेट के वास्तविक आयात किए गए हैं। ये कंपनियां / हस्तियां विटामिन ए एसिटेट का आयात कर रही

हैं और इसका खाद्य सुदृढ़ीकरण, टेबलेट, औषधियों और खाद्य उत्पादों तथा डाइटरी सप्लीमेंट्स के प्री-मिक्सस को तैयार करने के प्रयोजन से इसका प्रयोग कर रही है।

xix. यह सार्वजनिक रूप से माना गया है कि दोनों, विटामिन ए एसिटेट और पीयूसी का तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है और प्राय: इन्हें समान प्रयोजन हेतु नियोजित किया जाता है अर्थात तेल, दूध, गेहूं का आटा (आटा और मैदा) आदि के सुदृढ़ीकरण, और कॉस्मेटिक्स, टेबलेट्स और डायटरी सप्लीमेंट्स के विनिर्माण के लिए । इसके खाद्य सुरक्षा विनियमों के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा भी इसे मान्यता दी गई है जिनकी इसके अवलोकनों किए किए जाने में प्राधिकारी द्वारा पूरी तरह से उपेक्षा की गई है।

xx. डीएएसएफ की उत्पाद / सुरक्षा टेटा शीटों से, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विटामिन ए पामिटेट और विटामिन ए ऐसिटेट के विभिन्न संघटनों का सुदृढ़ीकरण और डायटरी सप्लीमेंट्स से संबंधित समान अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है।

xxi. क्रम संख्या 1 पर पोषणों (विटामिन्स, मिनरल्स, एमिनो एसिड और अन्य पोषक तत्वों) से संबंधित अनुसूची संख्या-I के तहत खाद्य सुरक्षा और मानक (स्वास्थ्य सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्युटिकल्स, विशिष्ट डायटरी के लिए खाद्य, विशेष चिकितसा के लिए भोजन और प्रिबायोटिक और प्रोबायोटिक भोजन) विनियम, 2022 में यह व्यवस्था की गई है कि रेटिनाइल एसिटेट ओर रेटिनाइल पामिटेट विनियमों के तहत विटामिन ए के स्वीकृत प्रकार हैं।

xxii. याचिकाकर्ता, विटामिन ए एसिटेट, एक समान उत्पाद का एक आयातक है, जोकि समान अंतिम प्रयोग के साथ विटामिन ए का एक अन्य प्रकार है तथा तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से विटामिन ए पामिटेट का प्रतिस्थापनीय है। याचिकाकर्ता केवल आयातित विटामिन ए एसिटेट को पीयूसी में परिवर्तित कर रहा है। दोनों विटामिन ए एसिटेट और पीयूसी और कुछ नहीं है, बल्कि

विटामिन ए मोलक्यूल के विभिन्न यौगिक दक्षु हैं और इसलिए एक दूसरे के ''समान वस्तु'' हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ता एडी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत ''घरेलू उद्योग'' के रूप में माने जाने के लिए अयोग्य है।

xxiii. परिवर्तन (विटामिन ए एसिटेट का पीयूसी में) के लिए याचिकाकर्ता की पुस्तकों में केवल उच्च मूल्यवर्धन एडी नियमावली के तहत वस्तुओं की समानता का निर्णय करने के लिए मापदंड नहीं है।

xxiv. याचिकाकर्ता द्वारा मूल्यवर्धन की उच्च लागत को याचिकाकर्ता द्वारा नियोजित विनिर्माण प्रक्रिया में इसकी स्वयं की आंतरिक अकुशलताओं के कारण माना जा सकता है।

xxv. इसे एक सामान्य नियम के रूप में नहीं माना जा सकता कि विटामिन ए एसिटेट से जीयूसी में मूल्यवर्धन केवल याचिकाकर्ता की लागत के आधार पर ही बहुत उच्च है जो कि विटामिन ए के एक स्वरूप से दूसरे रूप में परिवर्तनकर्ता है।

xxvi. प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अगोपनीय तरीके से यह उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि हमारे लिए पुनर्मूल्यांकन के कारण प्राधिकारी ने कितना प्रभाव हमारे लिए समाप्त किया। पूर्वाग्रह के बिना, लागत संरचना पर परिसंपतियों के पुनर्मूल्यांकन के किसी भी प्रभाव को एनआईपी की संगणना तथा क्षति संबंधी विश्लेषण के लिए समाप्त किया जाना चाहिए।

xxvii. प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए दिनांक 03 फरवरी, 2025 (''अतिरिक्त अनुरोध'') के डीएसएम समूह के अनुरोध की अवहेलना की है। डीएसएम समूह ने अतिरिक्त अनुरोधों में यह स्पष्ट किया था कि उन्होंने पहले ही तृतीय पक्षकार विदेशी ग्राहकों को डीएसएम समूह द्वारा पीओआई के दौरान बेचे गए पीयूसी की देश-वार मात्रा और मूल्य अथवा सभी तीसरे देशों में तृतीय पक्षकार विदेशी ग्राहकों को बेचे गए प्री-मिक्स के भाग के रूप में प्रयुक्त पीयूसी को रिकार्ड पर प्रस्तुत कर दिया है। प्राधिकारी से उचित तृतीय देश (तुलनीय मात्रा और बाजारों के आधार पर इंडोनेशिया अथवा

बांग्लादेश) का चयन करते समय अतिरिक्त अनुरोध में प्रमुख रूप से दर्शाए गए सिद्धांतों और तथ्यों पर विचार करने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि सामान्य मूल्य को किसी उचित तृतीय देश को बिक्रियों के लिए डीएनपी - एजी द्वारा उत्पादित ओर बेची गई समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक निर्यात कीमत के आधार निर्मित किया जा सकता है। प्राधिकारी द्वारा एक बार उचित तृतीय देश का चयन कर लिए जोन पर, डीएसएम समूह सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए सौदावार आधार पर अन्य सामायोजनों का विवरण उपलब्ध कराएगा।

xxviii. प्राधिकारी ने उत्पादक की लागत (सीओपी) *** यूरो/कि.ग्रा. प्रकट की है जबकि ईकयूआर में कारखानागत स्तर पर उत्पादन की लागत डीएसएम समूह द्वारा प्रकट की गई उत्पादन की लागत ***यूरो/कि.ग्रा. है। यदि सीओपी में कोई समायोजन किए गए हैं तो प्राधिकार से ऐसे समायेाजनों के विवरण साझा करने का अनुरोध किया जाता है।

xxix. प्राधिकारी को संशोधित और समायोजित सीओपी को अपनाने के द्वारा लाभप्रदता को पुन: परिकलित करना चाहिए जैसा कि प्राधिकारी द्वारा परिकलित किया गया है और तब सामान्य मूल्य की संगणना करने के लिए लाभप्रदता प्रतिशतांक पर पहुंचना चाहिए। अन्यथा प्रतिवादी के प्रति दोहरा खतरा और पूर्वाग्रह हो जाएगा यदि सामान्य मूल्य संगणना के लिए अपनाया गया सीओपी संशोधित (बढ़ाया) किया जाता है। किंतु समान मूल्य संगणना के लिए अपनाइ गई लाभप्रदता मूल / पुरानी सीओपी आधारित है।

xxx. घरेलू बाजार में पीयूसी की मांग में वृद्धि के कारण पीयूसी के लिए विस्तारित बाजार की मांग को पूरा करने के लिए आयातों में वृद्धि की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में पीयूसी के आयातों में वृद्धि का कारण कोविड-19 महामारी के आक्रमण विरूद्ध लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जनता द्वारा विटामिन ए का अधिक सेवन था।

xxxi. बाजार में मांग के संबंध में आयात में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 146 सूचकांक बिंदु से गिरकर 142 सूचकांक बिंदु हो गया है। पीओआई के लिए, आयातों में पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में पीओआई में गिरावट आई है जबकि बाजार में मांग में पिछले वर्ष की तुलना में पीओआई में भी वृद्धि जारी रही।

xxxii. कीमत में कटौती इसलिए हुई क्योंकि घरेलू उद्योग यह देखते हुए उचित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर उत्पाद की बिक्री करने में असमर्थ रहा कि अंतिम चरण पर परिवर्तन और परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारणों से उनके उत्पादन की लागत असामान्य रूप से अधिक थी। घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत केवल 2010 में आधारभूत कच्चे माल से उत्पादन को रोकने तथा विटामिन ए के एक रूप को दूसरे में बदलने के कार्य को अंतिम चरण में बदलने के उनके स्वयं के वाणिज्यिक कारणों के कारण उच्च है। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता विश्व में अन्य उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है।

xxxiii. वर्षानुवर्ष आधार पर याचिकाकर्ता के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। हालांकि, वित्तीय वर्ष्र 2021-22 में मामूली गिरावट हुई थी, पीओआई सहित पिछले तीन वर्षों में घरेलू बिक्रियों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में गिरावट इस कारण से है कि कुल क्षमता में वृद्धि हुई थी।

xxxiv. नियोजित पूंजी, निवल अचल परिसंपत्तियों और कार्यशील पूंजी, मूल्यह्रास और बिक्रियों की लागत में वृद्धि पिछले वर्ष विलय को समाप्त करने और नई परिसंपत्तियों की खरीद यदि कोई हो, दोनों के कारण है। कार्यशील संपत्ति के उचित स्तर पर विलय को समाप्त किए जाने के कारण पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव के बिना विचार किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, विलय को समाप्त किए जाने के कारण अचल परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन को उपेक्षित किया जाना चाहिए। तदुनसार, नियोजित पूंजी को दोनों, अचल संपत्तियों और कार्यशील पूंजी के पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव के बिना परिकलित किया जाएगा।

xxxv. कर्मचारियों की संख्या और दैनिक रूप से उत्पादकता के संदर्भ में कोई क्षति नहीं हुई है, क्योंकि क्षति अवधि में कर्मचारियों की संख्या स्थिर रही है और उत्पादकता बढ़ी है।

xxxvi. डीएसएम समूह भारत में पीयूसी को पाटित नहीं कर रहा है क्योंकि यह समान रूप से स्थापित तीसरे देश में बाजार स्थितियों के अनुरूप लाभ पर पीयूसी की बिक्री कर रहा है। डीएसएम समूह के संबंध में याचिकाकर्ता को किसी महत्वपूर्ण क्षति का भी केाई खतरा नहीं हे, क्योंकि पिछले चार वर्षों में क्षमता स्थिर बनी हुई है, क्षमता उपयोग भी बहुत अधिक है और निकट भविष्य में इसका कोई विस्तार योजना नहीं है।

xxxvii. क्षति अन्य कारकों से है। याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई विनिर्माण और उत्पादन प्रक्रिया अकार्यकुशलता को अपनाती है और लागत में वृद्धि करती है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा वहन की गई कच्चे माल के ऊंची लागत भी इसके द्वारा हानि वहन करने का कारण बनती है। इसके अतिरिक्त, विलय को समाप्त करने के कारण उर्ध्वमुखी पुनर्मूलयांकन के परिणामस्वरूप उच्च मूल्यह्रास लागत के कारण ऊंची परिवर्तन लागत और महाड में स्थित याचिकाकर्ता के कारखाने पर रायगढ़ में बाढ़ के प्रभाव ने भी याचिकाकर्ता को प्रभावित किया है।

xxxviii. प्राधिकारी ने पहले उल्लिखित कारकों पर विचार नहीं किया है जिनमें प्री-मिक्सस, स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों के कारण खाद्य पदार्थों के सुदृढ़करण को प्रोत्साहन न दिया जाना जिसने फार्मा उद्योग को अत्यधिक प्रभावित किया है, शुल्कों को लागू किए जाने के कारण बाजार में एकाधिकार की स्थिति जैसे डाउनस्ट्रीम उत्पादों की लागत में वृद्धि शामिल है।

xxxix. घरेलू उद्योग 2003 के बाद से व्यापार उपचार उपायों के जरिए उपलब्ध कराए गए असाधारण उपचार का दुरूपयोग कर रहा है। पाचं बार शुल्कों की मांग की गई हे और 2003 के बाद से ये शुल्क लागू हैं। इसलिए, यह स्पष्ट है कि आवेदक अकुशलता और कुप्रबंधन के कारण क्षति का सामना कर रहा

है न कि आयातों के कारण । प्राधिकारी को इसकी अनुमति नहीं दिए जाने का अनुरोध किया जाता है।

xl. ई.यू. से आयातों के संबंध में आवेदन में उपलबध कराए गए आयात संबंधी आंकड़े प्रकटीकरण विवरण में विचार किए गए आयात आंकड़ों से भिन्न हैं। यह दर्शाता है कि आवेदक ने गैर-मौजूद क्षति को उपलब्ध कराने के लिए भ्रामक और गलत सूचना दायर की है।

xli. आवेदक ने ई.यू. से आयातों के कारण क्षति का सामना अथवा महत्वपूर्ण क्षति के खतरे का सामना नहीं किया है। यह इस कारण है कि उत्पादन घरेलू बिक्रियों, उत्पादकता में वृद्धि हुई है और मालसूची में गिरावट आई है।

xlii. अन्य कारक जिनहोंने आवेदक को पीड़ित किया है उनमें ये शामिल हैं - एक ही संयंत्र और मशीनरी विनिर्मित गैर-पीयूसी के उत्पादन में गिरावट, अकुशल उपकरणों का प्रयोग, आयातित कच्चे माल पर निर्भरता, क्योंकि आवेदक पूर्ण रूप से कच्चे माल के लिए आयातों पर निर्भर है, अधिक क्षमता की विद्यमानता और कुप्रबंधन, क्योंकि वर्ष 2003 के बाद से शुल्क संरक्षण के बावजूद, आवेदक हानियों का सामना कर रहा है।

xliii. शुल्क को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप एक एकाधिकारवादी स्थिति प्रस्तुत हो जाएगी क्योंकि आवेदक देश में पीयूसी का एक मात्र उत्पादकहै, विटामिन एक की कमी हो जाएगी क्योंकि भारत सरकार और एफएसएसएआई और विटामिन ए और डी प्री-मिक्स विनिर्माताओं के साथ पांच प्रमुख खाद्य पदार्थों को विटामिन और सूक्ष्म पोषक तथ्वों से सुदृढ़ बनाने, पीयूसी की कमी के संबंध में सभी विटामिन आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिल कर से कार्य कर रहे हैं, क्योकि आवेदक के पास घरेलू उद्योग और बड़ी संख्या में ऐसे क्षेत्रों की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है जो पीयूसी को मध्यवर्ती माल के रूप में प्रयोग करते हैं, यह सरकार और एफएसएसएआई की योजनाओं को भी प्रभावित करेगा, घरेलू उद्योग द्वारा शोषण, जैसा कि आवेदक से साक्ष्य है, पीयूसी की कीमतों में वृद्धि कर रहा

है जब पीयूसी का विनिर्माण करने वाले जर्मन में डीएएसएफ के संयंत्र में जुलाई, 2024 में ऐसी एक घटना हुई थी। यह आपूर्ति के एक से अधिक स्रोतों की आवश्यकता को दर्शाता है। आपूर्ति करने की क्षमता नहीं हे जिसकी बहुत-सी फार्मास्युटिकल कंपनियों को जरूरत होती है।

xliv. उत्पादक यह जानकर आश्चर्यचकित हैं कि प्राधिकारी चीन को एफएनएमई के रूप में मान रहे हैं। डब्ल्यूटीओ के प्रति चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल को देखते हुए पाटनरोधी कार्रवाइयों में ''सरोगेट देश'' की प्रथा का वर्ष 11 दिसिंबर, 2016 से कोइ्र बहुपक्षीय कानूनी आधार नहीं है। इसलिए उत्पादक / निर्यातक इसलिए प्राधिकारी से इस मामले के लिए सामान्य मूल्य की संगणना करने के लिए ''सरोगेट देश'' पद्धति का प्रयोग करने और घरेलू बिक्रियों अथवा लागत के लिए उत्पादक के स्वयं के डेटा के आधार पर पाटन मार्जिन की संगणना करने का अनुरोध करते हैं।

xlv. पिछले कई दशकों में आर्थिक स्थितियों ओर कानूनी पूर्व उदाहरणों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, 22 प्रतिशत आरओसीई को लागू किया जाना अब उचित नहीं है। प्राधिकारी से एक अधिक शुद्ध, अद्यतन विचारधारा को अपनाने का अनुरोध किया जाता है जो वर्तमान आर्थिक स्थितियों और कानूनी मानकों को प्रतिबिंबित करे। ऐसी अवधियों के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित किया गया वास्तविक लाभ जब पाटन का आरोप नहीं लगाया गया था, क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए एक अधिक वास्तविक ओर निष्पक्ष आधार प्रदान करेगा।

xlvi. 2021-23 की अवधि को महत्वपूर्ण वैश्विक विघटनों द्वारा चिन्हित किया गया था जिसमें कोविड-19 महामारी, आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियां, सरकारी हस्तक्षेप ओर संभार तंत्र संबंधी मुद्दे शामिल हैं, जिनहोंने सामान्य बाजार स्थितियों को विकृत किया था। असामान्य अवधि पर के आधार पर घरेलू उद्योग की क्षति की तुलना एक शुद्ध और उचित आकलन प्रदान नहीं करेगी। अत: प्राधिकारी से घरेलू को क्षति का आकलन करने में इस अवधि की प्रासंगिकता पर पुन: विचार करने का अनुरोध किया जाता है।

xlvii. शुल्कों को लागू किया जाना सार्वजनिक हित में नहीं है, क्योंकि यह एकाधिकारवादी बाजार के सृजन का कारण बनेगा क्योंकि आवेदक पीयूसी का एक मात्र उत्पादक है, विटामिन ए, जो कि एक अनिवार्य पोषक है, की उपलब्धता को भंग करेगा, व्यापक कमी को दूर करने के प्रयासों को कमजोर करेगा विशेषकर कुपोषित क्षेत्रों में, संभावित कमियों, कीमत में वृद्धि और इन अनिवार्य क्षेत्रों में विघ-विहन तथा फार्मा और एफएमसीजी खाद्य पदार्थ जेसे क्षेत्रों में विनिर्माताओं के लिए बढ़ी हुई लागतों का कारण बनेगा।

**ट.2 घरेलू उद्योग के विचार**

103. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

i. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि विचाराधीन उत्पाद के किसी भी प्रयोक्ता (एक संगत आयातक को छोड़कर) ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है अथवा शुल्क लगाए जाने के संबंध में सार्वजनिक हित पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कोई दावा नहीं किया है। यदि वास्तव में संभावित शुल्कों का डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता, तो कई प्रयोक्ताओं ने स्वयं को पंजीकृत किया होता और शुल्कों के विरोध में अपने दावे किए होते। यह तथ्य कि उनमें से कोई भी रिकॉर्ड पर नहीं है, यह दर्शाता है कि विचाराधीन उज्पाद पर शुल्क लगाए जाने से प्रयोक्ताओं पर अथवा व्यापक सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ii. प्राधिकारी द्वारा इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उपरोक्त संगत आयातक द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए किसी भी दावे को खारिज किया जाना चाहिए, जिसका प्रयोक्ताओं पर शुल्कों के नकारात्मक प्रभाव पड़ने का दावा डीएसएम न्यूट्रीशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड ("डीएनपी एजी") के साथ उसके संबंध होने के कारण कमजोर हो जाएगा। वास्तव में यह बात उल्लेखनीय है कि भारतीय सार्वजनिक हित के लिए दावा करने वाले मुख्य पक्ष भारतीय प्रयोक्ता नहीं हैं बल्कि चीनी, स्विस और जर्मन निर्यातक हैं।

iii. यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों में या तो आयातक/ आयात श्रृंखला का भाग या निर्यातकों से संबंधित लोग शामिल हैं। किसी भी वास्तविक प्रयोक्ता ने किसी भी आधार पर इस याचिका का विरोध नहीं किया है।

iv. घरेलू उद्योग प्राधिकारी की टिप्पणियों से सहमत है, विशेष रूप से इस तथ्य के संबंध में कि विटामिन ए एसीटेट और विटामिन ए पामिटेट समान वस्तुएं नहीं हैं। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे अपने अंतिम जांच परिणाम में इसकी पुनः पुष्टि करें।

क. घरेलू उद्योग पहले दायर किए गए अनुरोधों, विशेष रूप से समान वस्तु पर प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के अगोपनीय अनुरोधों के उत्तर में उनकी पुनरावृत्ति करता है। समान वस्तु के संबंध में प्रकटीकरण विवरण के पैरा 5 (i) से (xx) में दर्ज प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों के उत्तर में, जहां तक लागू हो, उन्हें नीचे दोहराया जाता है।

ख. विटामिन ए एसीटेट और विचाराधीन उत्पाद विटामिन ए मॉलिक्यूल के एस्टर हो सकते हैं, लेकिन वे समान वस्तुएं नहीं हैं। वास्तव में, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में विगत जांच परिणामों अर्थात चीन जन. गण. और स्विट्जरलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए विटामिन ए पामिटेट के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा से इस मुद्दे का निपटान कर दिया है। इसमें यह भी पाया गया है कि जब एक मध्यवर्ती इनपुट अर्थात विटामिन ए एसीटेट को रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम उत्पाद अर्थात विचाराधीन उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है, तो उक्त प्रक्रिया में विनिर्माण शामिल है और उक्त दोनों उत्पाद समान वस्तुओं में शामिल नहीं हो सकते। इसके परिणामस्वरुप, घरेलू उद्योग को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत घरेलू उद्योग में शामिल करने के लिए योग्य माना गया है।

ग. यह स्थापित कानून है कि विभिन्न उत्पादों को एक एचएस के तहत वर्गीकृत किए जाने से वे पाटनरोधी कानून के प्रयोजनों के लिए समान वस्तु नहीं होती हैं।

घ. विटामिन ए एसीटेट 2.8 का उपयोग विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए किया जाता है। जबकि विचाराधीन उत्पाद का उपयोग कुछ डाउनस्ट्रीम उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है, जिसमें निकोवेज बार्बी विटामिन प्रीमिक्स, ओवीपी (एमटी-0266) आर0308, और ओवीपी (एमटी-0735) आर0461 शामिल हैं। इसके अलावा, समूचे विश्व में फार्मास्यूटिकल्स से संबंधित नियामक अपेक्षाओं के लिए फॉर्मूलेशन बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री/ संरचना (विचाराधीन उत्पाद सहित) के पंजीकरण की आवश्यकता होती है - इसे देखते हुए, व्यावसायिक या तकनीकी रूप से व्यवसायों के लिए विटामिन ए पामिटेट के स्थान पर विटामिन ए एसीटेट का उपयोग करना विवेकपूर्ण नहीं है। अत: विटामिन ए एसीटेट और विचाराधीन उत्पाद दोनों ही व्यावसायिक अथवा तकनीकी रूप से एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करने योग्य नहीं हैं।

ड़. घरेलू उद्योग का यह कहना है कि प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकार घरेलू उद्योग की विचाराधीन उत्पाद के निर्माण की उत्पादन प्रक्रिया को अधिक सरल बना रहे हैं। विचाराधीन उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया में (i) विटामिन ए एसीटेट क्रिस्टल पर की जाने वाली प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला के साथ एक जटिल रासायनिक प्रतिक्रिया, जिससे कि विटामिन ए एसीटेट में पर्याप्त मूल्यवर्धन (वेल्यू एडिशन) होता है, (ii) श्रम का रोजगार और (iii) प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं। वास्तव में, विचाराधीन उत्पाद के संबंध में विगत अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी ने यह माना है कि जब एक मध्यवर्ती इनपुट अर्थात विटामिन ए एसीटेट को रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम उत्पाद अर्थात विचाराधीन उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है, तो उक्त प्रक्रिया में निर्माण शामिल होता है और उक्त दोनों उत्पाद समान वस्तु नहीं हो सकते।

तदनुसार, यह दावा गलत है कि विटामिन ए एसीटेट और विचाराधीन उत्पाद समान वस्तु हैं।

च. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 का संदर्भ देते हुए वर्तमान मामले अर्थात पाटनरोधी नियमों के तहत समान वस्तु के मामले को गलत तरह से पेश किया है। स्पष्ट रूप से, पाटनरोधी कानून और न्यायशास्त्र के अंतर्गत "समान वस्तु" को परिभाषित करने का उद्देश्य और प्रयोजन निर्धारित है और यह कानून पेटेंट कानून के तहत उससे अलग है। पाटनरोधी कानून में समान उत्पादों का निर्धारण करते समय विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है, जिसमें भौतिक विशेषताओं की समानता, उत्पाद का अंतिम उपयोग, उपभोक्ता वरीयता, टैरिफ वर्गीकरण आदि शामिल हैं, न कि केवल उत्पादन प्रक्रिया पर निर्भर रहना और एक नए और अनूठे उत्पाद का निर्माण करना - जैसा कि पेटेंट कानून में माना जाता है। अत: प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध पेटेंट कानून के विपरीत पाटनरोधी कानून के तहत "समान वस्तु" का निर्धारण करने में शामिल शूक्ष्म बातों पर विचार करने में विफल रहता है।

छ. इसी प्रकार, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य पदार्थों का सुदृढ़ीकरण) विनियम 2018 पाटनरोधी कानूनों के तहत "समान वस्तु" निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए असंगत है। यह नोट किया जा सकता है कि विटामिन ए एसीटेट को उसके रूप में उपभोग नहीं किया जा सकता है, जबकि विटामिन ए पामिटेट उपभोग के लिए है और इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में एक एडिडिव के रूप में किया जाता है। वास्तव में, इसी तथ्य के संबंध में कि प्रतिवादी हितधारक बाहरी सांविधिक परिभाषाओं (समान वस्तु प्रावधानों और अधिमानताओं की बजाय) पर भरोसा कर रहे हैं, इस बात को अनजाने में ही स्वीकार कर लिया गया है कि विटामिन ए पामिटेट और विटामिन ए एसीटेट समान वस्तु नहीं हैं।

ज. घरेलू उद्योग का यह अनुरोध है कि विटामिन ए एसीटेट और विटामिन ए पामिटेट के रूप, वितरण, जैव उपलब्धता और विषाक्तता में अंतर है।

रासायनिक विशेषताओं और विषाक्तता में अंतर को प्रमाणित करने के लिए, घरेलू उद्योग ने उपभोक्ता सुरक्षा पर यूरोपीय आयोग की वैज्ञानिक समिति की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखा है। निहित हित वाले पक्षकारों के स्वार्थी तर्कों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए।

झ. घरेलू उद्योग यह नोट करते हैं कि यदि विटामिन ए एसीटेट और विचाराधीन उत्पाद को समान ही माना जाता है, तो विटामिन ए एसीटेट का प्रत्यक्ष आयात होता, जबकि ऐसा नहीं है। भारत में पीपीएल के अलावा, विटामिन ए एसीटेट 2.8 आयात करने वाली कोई संस्था नहीं है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि एक भी प्रयोक्ता ने (स्विट्जरलैंड के एक उत्पादक के संगत आयातक के अलावा) ऐसे प्रयोगों के लिए विटामिन ए एसीटेट के वास्तविक उपयोग को प्रदर्शित करने संबंधी जांच में भाग नहीं लिया है जिनमें विटामिन ए पामिटेट का सामान्यतया प्रयोग किया जाता है। वास्तव में, प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने बाजार में वास्तविक, व्यावहारिक प्रतिस्थापन को प्रमाणित करने के साक्ष्य के बिना, खोखले दावे किए हैं। याचिकाकर्ता की पूरी जानकारी के अनुसार, वह देश में विटामिन ए एसीटेट का एकमात्र आयातक है। वास्तव में, प्राधिकारी ने प्रकटीकरण विवरण के पैरा 8 में यह पाया है कि "आयात संबंधी डेटा के सत्यापन से यह देखने में आया है कि विटामिन ए पामिटेट के समान प्रयोगों में विटामिन ए एसीटेट का कोई प्रत्यक्ष आयात और उपयोग नहीं है। इस प्रकार, दोनों उत्पादों के समान होने अथवा बदल बदल कर उपयोग किए जाने को प्रमाणित नहीं किया गया है।"

ञ. घरेलू उद्योग का यह अनुरोध है कि डिग्वाल संयंत्र में अर्ध-तैयार वस्तुओं के उत्पादन के लिए विटामिन ए एसीटेट का उपयोग किया जाता है।

ट. प्रश्नावली के उत्तर न केवल 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना सं. 10/2018 के उल्लंघन में हैं, बल्कि गोपनीयता के अनुचित दावों की भी बहुत कमी है। इन उत्पादकों और उनके व्यापारियों के प्रश्नावली उत्तरों में कमियां हैं और उन्हें अस्वीकार किया जाना चाहिए, जिसके कारण उन्हें व्यक्तिगत पाटन मार्जिन प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।

v. प्राधिकारी द्वारा प्रकट की गई एनआईपी की गणना केवल गणना का सारांश है। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एनआईपी याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए एनआईपी से काफी अलग है, और फिर भी एनआईपी का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी द्वारा किए गए परिवर्तन वास्तविक गणना अथवा कार्यप्रणाली के संदर्भ में किसी भी प्रकटीकरण द्वारा साबित नहीं किए गए हैं, जिससे याचिकाकर्ता की एनआईपी की गणना पर सार्थक टिप्पणी देने की क्षमता बाधित होती है। वास्तव में, इस तरह से आवश्यक तथ्यों का प्रकटन न करना *रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी* मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का भी खंडन करता है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि पाटनरोधी नियम के तहत प्राधिकारी को किसी पक्षकार द्वारा दी गई सूचना पर गोपनीयता का दावा करने का, विशेष रूप से ऐसे पक्ष से संबंधित सूचना के संबंध में अधिकार नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि प्राधिकारी द्वारा एनआईपी की गणना करने के लिए व्यापक स्पष्टीकरण और आधार प्रदान किया जाए। विशेष रूप से, याचिकाकर्ता इसके लिए आभारी होगा यदि प्राधिकारी यह स्पष्ट कर सके कि वह अनुकूलित कच्ची सामग्री की खपत लागत और अंतिम कार्यशील पूंजी के आंकड़ों पर कैसे पहुंचे हैं, जिनका उपयोग नियोजित पूंजी पर प्रतिफल निर्धारित करने के लिए किया गया था। इससे किसी भी तरह का विचलन वर्तमान कार्यवाही को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और पाटनरोधी नियमों का उल्लंघन होगा।

क. ***.

ख. ***.

vi. रिकॉर्ड पर उपलब्ध प्रश्नावली के उत्तर काफी हद तक अपर्याप्त हैं और उन्हें अस्वीकार किया जाना चाहिए। उपर्युक्त प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर कोई व्यक्तिगत मार्जिन प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। बिना किसी पूर्वाग्रह के, यह अनुरोध किया जाता है कि हुई क्षति और दर्ज पाटन की सीमा के अनुसार, डीएनपी एजी की दर उचित दर से कम प्रतीत होती है।

## ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

104. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के उपरांत के अनुरोधों की जांच की है। यह नोट किया जाता है कि जो टिप्पणियां पुनरावृत्ति हैं और जिनकी पहले ही उचित रूप से जांच की जा चुकी है तथा अंतिम जांच परिणामों के संगत पैरा में पर्याप्त रूप से शामिल की जा चुकी हैं, उन्हें संक्षिप्तता के लिए प्राधिकारी द्वारा प्रकटीकरण के उपरांत की जांच में दोहराया नहीं जा रहा है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण के उपरांत टिप्पणियों/ अनुरोधों में पहली बार उठाए गए तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है।

105. जहां तक इस तर्क का संबध है कि प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए विटामिन ए एसीटेट से वास्तविक मूल्य संवर्धन पर एक विशिष्ट निष्कर्ष निकाला है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के निर्माण के लिए विटामिन ए एसीटेट 2.8 में मूल्य संवर्धन ***% है।

106. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि के. सेवंतीलाल के लिए एक दिन के विलंब को माफ किया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि के. सेवंतीलाल ने प्रश्नावली का उत्तर विलंब से दाखिल किया था, लेकिन उसने समय सीमा से पहले स्वयं को एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया था। इसे देखते हुए, प्राधिकारी ने के. सेवंतीलाल द्वारा दाखिल किए गए अनुरोध पर विचार किया है।

107. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि कर-पूर्व लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की प्रवृत्ति में कोई विसंगति है, प्राधिकारी ने सत्यापन के दौरान घरेलू उद्योग के गोपनीय आंकड़ों का सत्यापन किया है और यह नोट किया है कि कर-पूर्व लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में कोई विसंगति नहीं है।

108. इस तर्क के संबंध में कि मार्जिन के संबंध में आवेदक की चिंताएँ आयात पर उनकी निर्भरता के कारण हैं जबकि अन्य उत्पादक बैकवार्ड इंटिग्रेटेड हैं, अत: प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को जैसा वह मौजूद है उसके अनुसार देखा जाना चाहिए अर्थात, चाहे वह उद्योग कच्ची सामग्री पर आयात पर निर्भर हो या नहीं हो, उसे क्षति हो रही है।

वास्तव में, माननीय सेस्टेट ने *निप्पॉन जियोन कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी* मामले में माना है कि *"घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का प्रश्न आदर्श परिस्थितियों को मानकर तय नहीं किया जा सकता है, बल्कि उचित समायोजन देते हुए मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर तय किया जाना चाहिए।" किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी ने यह सत्यापित किया है कि क्षति अवधि में कच्ची सामग्री की सोर्सिंग में कोई व्यवधान नहीं हुआ है।*

109. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि अत्यधिक पाटन और क्षति मार्जिन के चलते शुल्क या लेवी के कारण प्रयोक्ताओं को क्षति होगी और शुल्क के संदर्भ रूप पर केवल इसलिए विचार किया जा सकता है क्योंकि इससे आवेदक द्वारा कच्ची सामग्री की आपूर्ति में कमी को उचित रूप से संबोधित करने में मदद मिलेगी और प्रयोक्ताओं को भारत में सामग्री की कम आपूर्ति होने पर भी शुल्क की एक निश्चित मात्रा का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी, प्राधिकारी ने पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की सावधानीपूर्वक जांच की है। पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी की राय है कि संदर्भ मूल्य आधारित शुल्क से घरेलू उद्योग के वैध हितों का संरक्षण करते हुए प्रयोक्ताओं को अत्यधिक शुल्क के अधीन न करने के बीच संतुलन बनाया जा सकेगा। इसके अलावा, संदर्भ मूल्य आधारित शुल्क में देश में किसी भी मांग-आपूर्ति अंतर को भी ध्यान में रखा जाएगा।

110. जहां तक यूरोपीय आयोग द्वारा दिए गए तर्क का संबंध है कि अगोपनीय सारांश अर्थात् कीमतों और उनके विकास, सामान्य मूल्य की गणना, कथित पाटन गणनाओं से संबंधित आवश्यक आंकड़े अपर्याप्त हैं, अत: प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इनका निर्धारण सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों और जहां भी लागू हो, घरेलू उद्योग के आंकड़ों के आधार पर किया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जो सूचना व्यवसाय के लिए संवेदनशील है और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है, उसे प्राधिकारी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता है।

111. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि आयातों में वृद्धि को बढ़ती मांग के आलोक में देखा जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मांग-आपूर्ति के अंतर के कारण घरेलू उद्योग को क्षतिपूर्ण पाटन के विरुद्ध शुल्क की मांग करने से नहीं रोका जा सकता ।

112. इस तर्क के संबंध में कि आवेदन के सही होने पर संदेह है क्योंकि याचिका में दिए गए आयात संबंधी आंकड़ों और प्रकटीकरण में विचार किए गए आंकड़ों में विसंगति है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत करने और प्रकटीकरण विवरण के प्रयोजनों के लिए डीजी सिस्टम संबंधी आंकड़ों पर विचार किया गया था।

113. इस तर्क के संबंध में कि आवेदन और प्रकटीकरण विवरण में प्रति मूल कीमत में कटौती का प्रावधान नहीं किया गया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का अगोपनीय आवेदन प्रत्येक संबद्ध देश सहित संबद्ध देशों के लिए कीमत में कटौती को दर्शाता है। दूसरी ओर प्रकटीकरण विवरण में घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से पाटित किए गए आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन किया गया था।

114. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि विटामिन ए एसीटेट और विटामिन ए पामिटेट समान वस्तुएं हैं और घरेलू उद्योग की स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में एक व्यापक विश्लेषण किया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रयोक्ताओं में से कोई भी (स्विट्जरलैंड के एक उत्पादक के संगत आयातक के अलावा) यह समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर नहीं आया है कि विटामिन ए पामिटेट और विटामिन ए एसीटेट का परस्पर उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, आयात संबंधी आंकड़ों के सत्यापन से यह देखने में आया है कि विटामिन ए पामिटेट के समान अनुप्रयोगों में विटामिन ए एसीटेट 2.8 का कोई सीधा आयात और उपयोग नहीं है। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद के संबंध में विगत जांच में यह पाया गया था कि जब एक मध्यवर्ती इनपुट अर्थात विटामिन ए एसीटेट को एक महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन वाली रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम उत्पाद अर्थात विचाराधीन उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है, तो उक्त प्रक्रिया में निर्माण शामिल होता है और उक्त दोनों उत्पाद समान वस्तुएं नहीं हो सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप, यह माना गया कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग के रुप में शामिल होने के लिए पात्र था।

115. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी को अगोपनीय तरीके से यह बताना होगा कि प्राधिकारी ने पुनर्मूल्यांकन के कारण कितना प्रभाव हटाया है ताकि हम इस संबंध में कोई टिप्पणी दे सकें, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पुनर्मूल्यांकन के कारण किए गए समायोजनों के संबंध में आंकड़े घरेलू उद्योग की व्यवसायिक रूप से संवेदनशील सूचना हैं।

116. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि (i) डीएसएम ग्रुप ने 3 फरवरी 2025 के अतिरिक्त अनुरोध में यह स्पष्ट किया था कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान सभी तीसरे देशों में डीएसएम ग्रुप द्वारा तीसरे पक्ष के बाहरी ग्राहकों को बेची गई अथवा तीसरे पक्ष के बाहरी ग्राहकों को बेची गई प्रीमिक्स के भाग के रूप में उपयोग किए गए विचाराधीन उत्पाद की देश-वार मात्रा और कीमत को पहले ही रिकॉर्ड में रख दिया था और (ii) यह कि वे प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त तीसरे देश का चयन करने के बाद सामान्य कीमत का निर्धारण करने के लिए लेनदेन के आधार पर अन्य समायोजनों का विवरण प्रदान करेंगे, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि डीएसएम ग्रुप ने प्रश्नावली के उत्तर में संगत सूचना दाखिल नहीं की। तदनुसार, प्राधिकारी इस स्तर पर डीएसएम ग्रुप के अनुरोधों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

117. जहां तक इन तर्कों का संबंध है कि (i) प्राधिकारी डीएसएम ग्रुप की उत्पादन लागत में किए गए समायोजन (यदि कोई हो) प्रदान करते हैं और (ii) प्राधिकारी को समायोजित उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए लाभप्रदता की पुनः गणना करनी चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इन अंतिम जांच परिणामों में डीएसएम ग्रुप के लिए सामान्य कीमत निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए केवल सत्यापित सूचना पर ही भरोसा किया गया है, जिसमें आवश्यक सुधार, जहां भी लागू हो, शामिल है। प्राधिकारी ने अपनी सतत प्रथा के अनुसार आवश्यक समायोजन की भी अनुमति दी है।

118. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि डीएसएम ग्रुप (i) भारत में पाटन नहीं कर रहा है और (ii) डीएसएम ग्रुप के संबंध में भौतिक क्षति का कोई खतरा नहीं है क्योंकि विगत 4 वर्षों में इसकी क्षमता स्थिर रही है, क्षमता उपयोग अधिक है और कोई विस्तार योजना नहीं है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री से यह निर्धारित किया गया है कि डीएसएम ग्रुप द्वारा भारत को निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया गया है।

119. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि विचाराधीन उत्पाद पर शुल्क वर्ष 2003 से मौजूद हैं और आवेदक को इसकी अकुशलता और कुप्रबंधन के कारण क्षति हो रही है न कि आयातों के कारण, अत: प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि देश में विचाराधीन उत्पाद का आयात पाटित और क्षतिपूर्ण कीमतों पर किया गया है। अत: विगत जांच अथवा शुल्कों की मौजूदगी घरेलू उद्योग को क्षति अवधि में पाटित किए गए और क्षतिपूर्ण आयातों के खिलाफ आश्रय लेने से वंचित नहीं करती है।

120. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि याचिकाकर्ता के पास टोकोफेरॉल से सुस्थिर विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने की क्षमता नहीं है, प्राधिकारी रिकॉर्ड में रखी गई सूचना के आधार पर यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता के पास न केवल विचाराधीन उत्पाद (टोकोफेरॉल/बीएचए/बीएचटी से सुस्थिर) का उत्पादन करने की क्षमता है, बल्कि वह भारतीय बाजार में इसका उत्पादन और बिक्री भी करता है।

121. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी को पाटन के आरोप न होने पर उद्योग द्वारा अर्जित आरओसीई (उचित लाभ मार्जिन के रूप में) को अपनाना चाहिए न कि 22% आरओसीई को, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उसने एनआईपी निर्धारित करने के लिए अपनी स्थापित प्रथा पर भरोसा किया है और इस सुसंगत प्रथा से विचलित होने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है।

122. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में कि परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन का लागत संरचना, नियोजित पूंजी, निवल अचल परिसंपत्तियों और कार्यशील पूंजी तथा मूल्यह्रास पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव को एनआईपी की गणना करने के साथ-साथ क्षति विश्लेषण के लिए भी हटाया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उसने घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों का सत्यापन किया है और इन जांच परिणामों में मूल्यांकित क्षति मापदंडों पर नियमों के अनुसार पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव को समाप्त कर दिया है। विशेष रूप से, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एनआईपी की गणना पाटनरोधी नियमों के अनुबंध III के अनुसार की गई है और प्राधिकार की संगत प्रथा के अनुसार इसका प्रकटन किया गया है। जहां तक घरेलू उद्योग के दावों का संबंध है कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए एनआईपी और प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए एनआईपी में अंतर हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि

सत्यापन के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य के आधार पर खपत की गई कच्ची सामग्री की इष्टतम लागत का निर्धारण करने में गणनाओं में कतिपय सुधार किए गए हैं।

123. इस तर्क के संबंध में कि रायगढ़ में आई बाढ़ से याचिकाकर्ता के महाड़ स्थित कारखाने पर भी प्रभाव पड़ा है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह प्रदर्शित किया है कि याचिकाकर्ता के आर्थिक मापदंडों पर बाढ़ का प्रभाव न्यूनतम है।

## ठ. <u>निष्कर्ष और सिफारिश</u>

124. दिए गए तर्कों, किए गए अनुरोधों, उपलब्ध कराई गई सूचना और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है तथा पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष हैं:

i. विटामिन ए एसीटेट और विटामिन ए पामिटेट समान वस्तुएं नहीं हैं, जिसके कारण घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयातक नहीं है।

ii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तुएं हैं।

iii. घरेलू उद्योग पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ नियम 2 के अंतर्गत आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा करता है।

iv. आयातों में निरपेक्ष और सापेक्ष संदर्भ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आधार वर्ष को छोड़कर, आयातों की पहुंच कीमत, जांच की अवधि सहित क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी। आयातों की कीमतें भी कम हुई हैं और वे क्षति अवधि (आधार वर्ष को छोड़कर) में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से काफी कम थीं। इसके कारण घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतों में वृद्धि करने

से वंचित रहा। आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार अंश में भी कमी आई।

v. क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षमता उपयोग में कमी आई है। जहां तक घरेलू बिक्री और उत्पादन का संबंध है, इसमें वृद्धि हुई है। तथापि, यह मांग, आयात और याचिकाकर्ता की क्षमता की वृद्धि से काफी कम है।

vi. लाभ, नकदी लाभ और आरओसीई के संदर्भ में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर पाटित किए गए आयातों से प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा है।

vii. पाटित किए गए संबद्ध आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

viii. पाटन और क्षति मार्जिन महत्वपूर्ण हैं।

ix. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले किसी अन्य कारक के संबंध में पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की है। किसी अन्य कारक के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है। प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से पाटित किए गए आयातों के कारण हुई है।

x. प्राधिकारी ने उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा निर्धारित की है। यह देखने में आया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का उपभोक्ताओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

125. पाटनरोधी नियमों के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और उसका संचालन करने के बाद, प्राधिकारी का यह मानना है कि पाटन और उसके परिणामस्वरूप होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

126. प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए कम शुल्क नियमों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण जांच अवधि के लिए इन निष्कर्षों में निर्धारित डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम के बराबर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है, ताकि घरेलू उद्योग पर डंप किए गए आयातों के हानिकारक प्रभावों को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकरण विषयगत देश में

मूलतः उत्पन्न या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है, जो नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर है। इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3ए, 8बी, 9 और 9ए के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर लागू सीमा शुल्क का स्तर होगा:

**शुल्क तालिका**

| क्र. सं. | शीर्ष/ उप शीर्ष | वस्तुओं का विवरण | मूलता का देश | निर्यात का देश | उत्पादक | राशि | इकाई | मुद्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 29362100, 29362290, 29362800, 29369000, 29362690, और 29362990 | विटामिन - ए पामिटेट", विटामिन ए पामिटेट 1.7 एमआईयू/ जीएम और विटामिन ए पामिटेट 1.0 एमआईयू/ जीएम दोनों को इसकी सभी शक्तियों और रूपों में, | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. सहित कोई भी देश | शांगुई एनएनयू बायो-केम कंपनी लिमिटेड | 14.95 | कि.ग्रा. | यूएस डॉलर |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्थिरीकरण के साथ अथवा इसके बिना* शामिल किया गया है | | | | | | |
| 2 | - वही - | - वही - | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. सहित कोई भी देश | क्रम सं. 1 के अलावा कोई भी उत्पादक | 20.87 | कि.ग्रा. | यूएस डॉलर |
| 3 | - वही - | - वही - | स्विटजरलैंड | स्विटजरलैंड सहित कोई भी देश | डीएसएम न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड | 0.87 | कि.ग्रा. | यूएस डॉलर |
| 4 | - वही - | - वही - | स्विटजरलैंड | स्विटजरलैंड सहित कोई भी देश | क्रम सं. 3 के अलावा कोई भी उत्पादक | 8.2 | कि.ग्रा. | यूएस डॉलर |
| 5 | - वही - | - वही - | यूरोपीय संघ | यूरोपीय संघ सहित कोई भी देश | कोई भी उत्पादक | 11.09 | कि.ग्रा. | यूएस डॉलर |

** पीयूसी के दायरे में विटामिन-ए पामिटेट 1.6 एमआईयू/ जीएम शामिल नहीं है, जिसका उपयोग पशु उपभोग के लिए किया जाता है और पीयूसी की तुलना में इसके अंतिम उपयोग अलग हैं।"*

ड. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

127. केन्द्र सरकार द्वारा इन जांच परिणामों को स्वीकार किए जाने के पश्चात इनके विरुद्ध कोई अपील 1995 में यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमा शुल्क टैरिफ नियम, 1995 के अनुसार सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)

निर्दिष्ट प्राधिकारी